BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

Original Application No. 07/2022
and
Original Application No. 12/2022

IN THE MATTER OF:

SUBHASH C. PANDEY APPLICANT(S)

VERSUS

STATE OF MP & ORS RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	**Action Taken Report on behalf of State of Madhya Pradesh by OIC in compliance of order dated 20.10.23**	—	3-11
2.	Copy of notice dated 11.09.23 to Auroshikha Education and Social Welfare Society for the illegal construction of a fish farm.	R-1	12
3.	Copy of representation dated 22.09.23 of Auroshikha Education and Social Welfare Society before the High Level Committee	R-2	13-15
4.	Copy of the letter dated 16.02.24 of the Bhopal Municipal Corporation to the Office of the Principal Secretary, Urban Development & Housing Department	R-3	16-17
5.	Copy of the letter dated 15.03.24 issued by the department of Urban Development & Housing Department	R-4	18-19
6.	Copy of the letter dated 13.03.24 of the office of City Planner, Bhopal Municipal Corporation along with the stay orders passed by Hon'ble High court.	R-5 (colly)	20-35

7.	Copy of the letter dated 15.03.24 of SDM Huzur regarding removal of encroachments from 33 m buffer zone of Kerwa reservoir	**R-6**	**36**
8.	Copy of the letter dated 15.03.24 of Janpad Panchayat Fanda to Gram Panchayat Berkhedi Bejyaft for removal of community building from 33 m buffer zone of Kerwa reservoir	**R-7**	**37**
8.	Copy of notices dated 15.03.24 issued by the gram panchayats to illegal constructions in 33 m buffer zone of Kerwa reservoir	**R-8 (colly)**	**38-52**
9.	Copy of the letter dated 15.03.24 of CEO Jila Panchayat along with work orders and photographs	**R-9 (colly)**	**53-84**
10.	Copy of the information provided by the office of BMC (sewage cell) dated 15.03.24 along with work order and maps of the proposed STPs.	**R-10 (colly)**	**85-91**

Date: 17.03.2024 **Respondent No. 1**

Place: Bhopal

Through Counsel

(Prashant M. Harne)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

Original Application No. 07/2022
and
Original Application No. 12/2022

IN THE MATTER OF:

SUBHASH C. PANDEY **APPLICANT(S)**

VERSUS

STATE OF M.P. & ORS **RESPONDENT(S)**

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF MADHYA PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.02.2024

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HERE IN UNDER :-

1. Issue raised in this application is alleged unauthorized, illegal construction and encroachment on the reservoir land shown as Kaliyasot & Kerwa reservoir in the territorial jurisdiction of District Bhopal (Madhya Pradesh). It is further alleged that in the Bhopal Master Plan of 2005, which is currently in force, the lands and forests around the Kaliyasot Reservoir up to 33 meter from the edge of the Reservoir is to be kept open for Green Belt. That it is further alleged by the Applicant regarding the issue of movement of Tiger and Leopard and other wild animals in the surroundings of the

Reservoir, which is adjacent to the Kerwa area of Bhopal, is a known corridor of Tiger and Leopard, along with many other wild life species. Hundreds of aquatic animals like Ghariyal, Crocodile and Tortoise in the Kaliasot Reservoir are also at risk due to the said activities.

2. It is respectfully submitted that vide its order dated 15.02.24 was pleased to order that :-

" Rest of the respondent have argued that the representation is pending before the High Level Committee for consideration. The High Level Committee is expected to decide the application according to the rules and pass an appropriate order. The very purpose of this application is identification, demarcation and protection of wetland and removal of encroachments. Respondents are directed to ensure the above works to be completed within a timeframe. Learned Counsel for the State has sought a further three weeks time to submit the report. Further Action Taken report be filed before the next date of listing".

3. It is respectfully submitted by the answering respondent no.1, that to verify the status of compliance of the Hon'ble NGT orders a meeting of the officers of the all concerned departments was convened on 15.03.24 in the Chairmanship of the Principal Secretary Environment Department wherein the concerned departments have submitted their respective Action Taken Reports. Based on the compliance made available by the concerned offices, the compliance by the State of MP is being submitted as under:-

4. Regarding the issue of the representations before the High Level Committee, it is submitted that the State of Madhya Pradesh submitted its detailed Action Taken Report on 14.09.23. In this report at **Annexure R 1-1 (page 09-509)** the State Level Joint Committee Report was submitted before the Hon'ble NGT. As **Annexure 8 (page 57-72)** of this report, the notices issued by the Bhopal Municipal Corporation to the illegal constructions in the 33 meter buffers zone of the have been placed. One such notice was issued vide letter no. 5358 dated 11.09.23 (**page 68**) to one Auroshikha Education for the illegal construction of a fish farm. For the sake of brevity, a copy of that notice is marked and placed herewith as **Annexure R-1** again.

5. It is further submitted that with regard to the order passed by the Hon'ble NGT on 20.09.23, M/s Auroshikha Education and Social Welfare Society has submitted a representation before the Chief Town Planner of the Bhopal Municipal Corporation on 22.09.2023. A copy of representation dated 22.09.23 is marked and placed herewith as **Annexure R-2.** The office of the City Planner, Bhopal Municipal Corporation has forwarded the said representation to the Office of the Principal Secretary, Urban Housing & Developmet Department on 16.02.24, a copy of which is marked and placed herewith as **Annexure R-3.**

6. It is submitted that the said Auroshikha Education and Social Welfare Society has not elaborated upon any grievance / grounds in its representation and has made a request that no action in haste shall be taken against it without providing an opportunity of hearing, for the removal of illegal construction otherwise it will amount to contempt of the Hon'ble NGT order. It is further submitted that the High Level Committee will grant an opportunity of hearing to this party at the earliest to present its case before the committee. The copy of the information provided by the department of Urban Administration and Housing dated 15.03.24 is marked and placed herewith as **Annexure R-4.** It is further respectfully submitted that no other representation from the aggrieved respondents has been received so far for the High Level Committee to decide.

7. It is further respectfully submitted that as far as removal of encroachments are concerned, BMC has issued notices to the 11 illegal constructors on private land in the 33 meter buffer zone of Kaliasote Reservoir, out of which 3 private owners have removed the illegal constructions themselves, 7 have obtained stay from the Hon'ble High court of MP, Principal Seat at Jabalpur and 1 person has filed its representation before the high level committee, as have been submitted here-in before. The information provided by the office

of city planner Bhopal Municpal Corporation dated 13.03.24 along with the stay orders passed by Hon'ble High court marked and placed herewith as **Annexure R-5 (colly.).**

8. Regarding encroachment on government land in 33 meter buffer area of Kaliasote reservoir, notices have been issued to the encroachers and cases have been registered for 5 villages under section 248 of the LRC, as has been submitted before the Hon'ble NGT in the earlier report dated 14.09.23 and further process as per law is being taken .

9. Similarly for 33 encroachments in the 33 meter buffer zone of Kerwa, 18 were on government land and 15 were illegal constructions on the private land as submitted in the earlier report. Cases were registered under section 248 of LRC for government land and notices were issued by gram panchayats to private land violators. The SDM office of Huzur has informed vide its letter dated 15.03.24 that final notices have been issued to the encroachers of the government land in 33 m buffer zone of Kerwa reservoir. It has also been submitted that looking to the ensuing Lok Sabha Elections, a period of 90 days more may be granted for the removal of encroachments from the government land. The letter dated 15.03.24 of SDM Huzur is marked and placed herewith as **Annexure R-6.** The Janpad Panchayt of

Fanda has also issued notice to the gram panchayat Berkhedi Bajyaft on 15.03.24 regarding removal of Community building that has been constructed on government land in 33 m buffer zone of Kerwa reservoir, a copy is marked and placed herewith as **Annexure R-7.**

10. The Gram Panchayats of Berkhedi Bajyaft, Bhanpur Kekadia, Chhapri and Mendora have issued final notices to the private violators for giving their explanation and removal of illegal structures by themselves, else the illegal structures will be demolished and cost will be recovered from the violators. Copy of notices dated 15.03.24 by the above mentioned gram panchayats to a total of 15 violators is marked and placed herewith as **Annexure R-8 (colly).**

11. Pertaining to the management of sewage to curb water pollution in the Kerwa reservoir, it was earlier reported that in Mendora village construction of 2 DEWATS is under progress; in Mendori village construction of 10 leach pits and 1 DEWATS system is under progress; and in Kushalpura village construction of 2 soak pits / end point structures for sewage discharge has been constructed. Now the CEO Jila Panchayat office has submitted the progress that the agency for the construction of 2 DEWATS at Mendora village has been identified and agreement process has been

completed. It has been reported that in Mendori village, out of 10 leach pits, 8 have already been constructed and remaining will be constructed soon, and in Kushalpura village 2 soak pits / end point discharge structures have already been completed. The progress reported by the CEO Jila Panchayat office vide its letter dated 15.03.24 along with work orders and photographs is marked and placed herewith as **Annexure R-9 (colly)**

12. The office of the Bhopal Municipal Corporation (sewage cell) has submitted the progress pertaining to the control of sewage discharge in Kaliasote reservoir. It has been informed that out of 1.25 MLD sewage joining Kaliasote reservoir, work related to joining of 0.60 MLD of the sewage with the existing sewage network at two places has been completed. For the two remaining places respectively at Surajnagar nallah (0.20 MLD) and Berkhedi nallah (0.45 MLD), bid have been invited for construction of Packaged Sewage Treatment Plants having total capacity of 0.65 MLD, and work order has been issued in favour of M/s Sawen Consultancy Services, Lucknow for Rs. 2,21,50,000/- on 22.01.24. The execution period is 3 months. However issues pertaining to allotment of government land are pending which are being sorted out in coordination with the office of SDM

13. T.T. Nagar and EE, WRD. The relevant information provided by the office of BMC (sewage cell) dated 15.03.24 along with work order and design maps of the proposed STPs is marked and placed herewith as **Annexure R-10 (colly).**

14. An affidavit in support of the report is filed herewith.

Date: 17.03.2024 **Respondent No. 1**

Place: Bhopal

Through Counsel

(Prashant M. Harne)

NOTARY
Reg. No.-14512
VIJAY SIRVIYYAN
DISTT. BHOPAL
Valid UP TO
10/SEPT/2024
GOVT.-OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

Original Application No. 07/2022
and
Original Application No. 12/2022

IN THE MATTER OF:

Subhash C. Pandey **Applicant(S)**

Versus

State Of MP & Ors **Respondent(S)**

AFFIDAVIT

I, **Hemant Kumar Sharma,** S/o **Shri M.H. Sharma**, and Officer-in-Charge, working as Director (Tech), M.P. Pollution Control Bhopal, do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am Officer in Charge on behalf of State of Madhya Pradesh in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing a Action Taken Report in the aforementioned matter before this Hon'ble Tribunal the contents of which are true and correct to the best of my knowledge.
3. That the contents of the Action Taken Report are true and correct to the best of my knowledge and no material fact is concealed or suppressed.

DEPONENT

VERIFICATION

I the above-named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct.

Signed and verified on this 17th Day of **March, 2024** at Bhopal (MP)

DEPONENT

Noted & Registered Serial
No. 154
Date. 17/03/24

IDENTIFIED BY ME
NAME S. K. Sharma
ADDRESS Finance Officer
M.P. P.C.B Bhopal
SIGNATURE

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE
ME BY THE WITHIN NAMED

VIJAY SIRVIYYAN
ADVOCATE & NOTARY

NOTARIAL

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र. 5358 /भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक 11 / 09/2023

(मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत)

सूचना पत्र

प्रति,

[illegible] एज्युकेशन [illegible] (जो भी संबंधित हो।)
खसरा क्रमांक [illegible]/1/1/1, ग्राम चन्दनपुरा,
भोपाल।

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर के दायरे i.e". No construction Zone" में भवन अवस्थित होने पर हटाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं.135/2014 (CZ) एवं आई.ए. नं. 35/2023 में पारित आदेश दिनांक–11.08.2023 के परिपालन में।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पारित आदेश दिनांक–11.08.2023 के परिपालन में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक–11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law."

उपरोक्त पारित आदेश दिनांक–11.08.2023 के परिपालन में तथा भोपाल विकास योजना 2005 के कंडिका क्रमांक–4.47 'अ' एवं 'ब' में आकर्षित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर पाया गया कि कलियासोत नदी/कलियासोत तालाब की सीमा से भोपाल विकास योजना 2005 के कंडिका क्रमांक–4.47 'अ' एवं 'ब' के अनुसार निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित है।

अतः आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत नदी/कलियासोत तालाब की सीमा से भोपाल विकास योजना 2005 के कंडिका क्रमांक–4.47 'अ' एवं 'ब' के अनुसार निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण को आप स्वयं 07 दिवस के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटाने की कार्यवाही पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सक्ष्यों सहित सूचित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार– [illegible] का निर्माण।
2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)–
   400 वर्गमीटर

सहायक यंत्री,
नगर पालिक निगम, भोपाल

क्र.______/भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ___/___/2023

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य नगर निवेशक, भवन अनुज्ञा शाखा, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक यंत्री,
नगर पालिक निगम, भोपाल

प्रति,

श्रीमान मुख्य नगर निवेशक,

नगर पालिक निगम,

भोपाल (म.प्र.)

संदर्भ – आपके द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 3008 / भ.अ.शा. / कलियासोत / 2023 भोपाल, दिनांक 21.09.2023 तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा ओ.ए. क्रमांक 12 / 2022 में माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री इकबाल सिंह बैस की उपस्थिति में पारित आदेश दिनांकित 20.9.2023।

विषय – आपके द्वारा जारी उपरोक्त अंतिम सूचना पत्र दिनांकित 21 सितंबर 2023 की कार्यवाही को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश के पालन में हाई लेवल कमेटी द्वारा हमारे प्रतिवेदन के निराकरण तक स्थगित रखने के आदेश की जानकारी देते हुये निवेदन।

महोदय,

आरोशिखा ऐजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से निम्नानुसार सविनय निवेदन है –

1. मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने स्वयं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की भोपाल बेंच के समक्ष दिनांक 20 सितंबर 2023 को उपस्थित होकर यह सूचित किया कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांकित 18 अगस्त 2022 के पालन में प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव, श्रीमान कलेक्टर भोपाल, अतिरिक्त प्रमुख सचिव पंचायत तथा ग्रामीण विकास और

5
22/9/23

Aroshikha Education and Social Welfare Society
Secretary

प्रमुख सचिव राजस्व विभाग तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक की सदस्यता वाली हाई लेवल कमेटी का गठन किया है।

2. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की भोपाल बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20 सितंबर 2023 के चरण क्रमांक 11 में हमारे उत्तर का अभिलेख पर प्रस्तुत होना व्यक्त है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांकित 20 सितंबर 2023 में यह व्यक्त किया है, कि हम जैसे निजी भूमि स्वामी अपना प्रतिवेदन श्रीमान मुख्य सचिव द्वारा गठित उक्त हाई लेवल कमिटी के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय हरित प्राधिकरण ने हाई लेवल कमेटी को निर्देशित किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए हमारे प्रतिवेदनों का निराकरण करे। हमारे अधिवक्ता द्वारा माननीय हरित प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि नगर पालिका निगम द्वारा हमें सूचना पत्र प्रेषित किए गए हैं और हमारे मछली पालन केन्द्र को तोडने/हटाने का आदेश दिया है। इस पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 20.09.2023 के आदेश में हमें निर्देशित किया है कि हम हाई लेवल कमेटी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें, जिस पर सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात हाई लेवल कमेटी अपना निर्णय जारी करें। उपरोक्त स्थिति में आपसे निवेदन है कि कृपया अंतिम सूचना पत्र दिनांकित 21 सितंबर 2023 में 24 घंटे में करने का कथन व्यक्त किया है को हाई लेवल कमेटी द्वारा हमारे प्रतिवेदन के निराकरण तक लंबित रखने की कृपा करें।

3. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश का पालन करने के लिए आप वचनबद्ध हैं, क्योंकि श्रीमान मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस दिनांक 20 सितंबर 2023 की सुनवाई में स्वयं उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में हमें हाई लेवल कमेटी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने और हाई लेवल कमेटी को हमारे प्रकरण का निराकरण करने के लिए आदेशित किया गया है। हाई लेवल कमेटी के आदेश का संज्ञान लिये बिना यदि आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित नोटिस में व्यक्त एक तरफा कार्रवाई की गई तो वह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की कार्रवाई की अवमानना होगी।

Aaroshikha Education and Social Welfare Society

कृपया जल्दबाजी में हमारे विरुद्ध अंतिम सूचना पत्र में व्यक्त कार्रवाई न करे ऐसा किया जाना अवैधानिक होगा और इससे यदि हमें किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचती है, तो उसकी पूर्ति करने का समस्त दायित्व आपका होगा और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की अवमानना के लिए भी आप ही उत्तरदाई होंगे।

धन्यवाद सहित ।

Aurashikha Education and Social Welfare Society
Secretary

सचिव

दिनांक – 22.09.2023

ओरोशिखा ऐजुकेशनल एण्ड सोशल
वेलफेयर सोसायटी
पता– 46/2, केरवा डेम रोड, भोपाल

संलग्न सूची अनुसार दस्तावेज–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.09.2023 की प्रतिलिपि।

ANNEXURE R-3

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र................/भ.अ.शा./2024 भोपाल दिनांक ..../........./2024

प्रति,

प्रमुख सचिव,
नगरीय आवास एवं विकास विभाग,
भोपाल।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए.कमांक 7/2022 एवं 12/02.2022 में परित आदेश दिनांक 20.09.2023 के तारतम्य में आरोशिखा ऐजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के संबंध में।

संदर्भः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए.कमांक 7/2022 एवं 12/02.2022 में परित आदेश दिनांक 20.09.2023, इस कार्यालय द्वारा म.प्र.नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) दिनांक 11.09.2023 एवं अंतिम सूचना पत्र दिनांक 21.09.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अनुसार लेख है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परित आदेश दिनांक 11.08.2023 के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा सचिव, आरोशिखा ऐजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी खसरा कमांक 77/1/2/1/1 ग्राम चंदनपुरा भोपाल पर म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) दिनांक 11.09.2023 एवं अंतिम सूचना पत्र दिनांक 21.09.2023 को जारी किए गए है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परित आदेश दिनांक 20.09.2023 में उल्लेख किया गया है, कि " **4. In compliance of the order action taken report has been filed by the State on behalf of the Chief Secretary vide report dated 14.09.2023. The Chief secretary in compliance of the order constituted the high level committee consisting principal Secretary- water Resources Department, Principal Secretary-Urban administration and development Department, Addl.Chief secretary-Department of Forest, Member Secretary, Madhya pradesh Pollution Control Board, District Collector Bhopal, Addl. Chief secretary Panchayat and Rural Development, Principal secretary-Development of revenue, Principal Chief Conservator of Forest.**

13. Since the allegations are required to be proved and subject to proceedings, thus the applicant of these I.As are at liberty to attend the proceedings on the principal of natural justice of being heard. The I.As shall be disposed of at the appropriate stage. Since various applications of the private respondents have been filed before the tribunal and municipal corporation has also issued notice to the affected persons, thus, the revenue laws required that the matters of these persons with regard to the private land may be considered at the appropriate forum i.e, revenue Courts/Officers. The Chief Secretary has already constituted the High Level Committee, monitoring the matters, and has fairly admittedly and suggested that all these matters may be head and decided and looked after by the High Level Committee. Since the principal Secretary, Urban Administration Development Department, District Collector and the Forest Officer are also in this committee, thus it would be appropriate that the matter should be decided by this committee. All the persons aggrieved and file their application before the High Level Committee constituted by the Chief Secretary as mentioned above. The committee/District Collector have to proceed in accordance with law expiditiously." किंतु सचिव, आरोशिखा

ऐजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी के द्वारा अपना पक्ष मुख्य नगर निवेशक कार्यालय नगर पालिक निगम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अतः सचिव, आरोशिखा ऐजूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आपके समक्ष अवलोकन हेतु एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल
भोपाल दिनांक 16/02/2024

पृष्ठां.क. 1265-1266 /म.अ.शाखा / 2024

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सादर सूचनार्थ।

मुख्य नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, भोपाल

आयुक्त ... न.नि. भोपाल

19/02/24

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमाक 685 /916/2022/18-2/ भोपाल, दिनांक 15/03/2024

प्रति,

डायरेक्टर,
पर्यावरण (तकनीकी)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल, मध्यप्रदेश

विषयः- OA No. 07/2022 & 12/2022/ (cz) filed by Dr. Subhash C Pandey VS State of Madhya Pradesh

--00--

उपरोक्त विषय में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा OA No. 07/2022 & 12/2022 में पारित आदेश दिनांक 20/09/2023 के संबंध में आरोशिखा एजूकेशनल एण्ड सोसल वेलफेयर सोसायटी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभाग में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/09/2023 के संदर्भ में नगर निवेशक नगर निगम, भोपाल द्वारा उच्च स्तरीय समिति के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

नगर निवेशक नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा संचालक पर्यावरण तकनीकि को पत्र क्रमांक 13/03/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी टी टी नगर, राजधानी परियोजना, भोपाल के पत्र क्रमांक 532, दिनांक 09/09/2023 में कलियासोत रिजर्व वायर के फुल टैंक सीमा के 33 मीटर के दायरे में चिन्हांकित निर्माण/संरचनाओ के संबंध में कुल 11 संरचनाओ की जानकारी दी गई है, जो निजी स्वामित्व की भूमि में अवस्थित है। उपरोक्त 11 संरचनाओ को मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के तहत अनाधिकृत हटाने की सूचना दी गई है, जारी सूचना की समयावधि समाप्त होने के उपरांत अनाधिकृत निर्माणकर्ताओ को संचालित प्रतिष्ठानो को रिक्त किये जाने हेतु अंतिम सूचना 21/09/2023 को जारी किया गया है। 03 निजी भूस्वामी द्वारा स्वयं के द्वारा ही अतिक्रमण को हटा लिया गया है, एवं 01 अन्य प्रकरण के भूमि स्वामी आरोशिखा एजूकेशनल एण्ड सोसल वेलफेयर सोसायटी द्वारा उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, 07 निजी भूमि स्वामी की द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत कर निषेधआज्ञा (Stay Ordar) प्राप्त किया गया है।

उपरोक्तानुसार मात्र 01 अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी सुनवाई उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अतिशीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया उपरोक्तनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण OA No. 07/2022 & 12/2022/ (cz) filed by Dr. Subhash C Pandey VS State of Madhya Pradesh के संदर्भ में जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

(शिवराज सिंह वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृष्ठ 686 /916/2022/18-2/ भोपाल, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्रं. 1858/भ.अ.शा./2024 **भोपाल, दिनांक— 13/03/2024**

प्रति,

ANNEXURE R-5 (colly)

श्री हेमन्त कुमार शर्मा,
डायरेक्टर, पर्यावरण (तकनीकी)
म.प्र.पूदषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल एवं प्रकरण प्रभारी अधिकारी,

विषयः— **माननीय एन.जी.टी. (सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल) के प्रकरण क्रमांक O.A .No. 07/2022 (कलियासोत रिजर्व वायर), O.A .No. 12/2022 (केरवा रिजर्व वायर) डॉ.सुभाष सी.पाण्डे विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य के संबंध में। (कलियासोत रिजर्व वायर क्षेत्र में अवैध निर्माण, अतिक्रमण एवं भोपाल डेवलपमेंट प्लान का उल्लंघन संबंधी)**

संदर्भः— **आपका पत्र क्रमांक 864 दिनांक—20.02.2024, सहायक आयुक्त, (विधि) नगर पालिक निगम, भोपाल का पत्र कं. 315/वि.वि./2024 भोपाल दिनांक—26.02.2024 एवं पत्र कं 320/वि.वि./2024 भोपाल दिनांक 26.02.2024**

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय एन.जी.टी. में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक **O.A .No.** 07/2022 एवं **O.A .No. 12/2022** में माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टी.टी.नगर वृत्त, राजधानी परियोजना भोपाल के पत्र क्रमांक 532 दिनांक 09.09.2023 में कलियासोत रिजर्व वायर के फुल टैंक सीमा के 33 मीटर के दायरे में चिन्हांकित निर्माण/संरचनाओं के संबंध में कुल 11 संरचनाओं की जानकारी दी गई। उक्त 11 सरंचनाएं निजी स्वामित्व की भूमि पर अवस्थित हैं।

अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी.नगर वृत्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर भवन अनुज्ञा शाखा, नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा कुल 11 निजी स्वामित्व वाले भूमि स्वामियों को म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के तहत दिनांक 11.9.2023 को अनधिकृत निर्माण को हटाये जाने हेतु सूचना पत्र जारी किये गए। जारी सूचना पत्र की समयावधि समाप्त होने के उपरांत अनधिकृत निर्माणकर्ताओं द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों को रिक्त किये जाने हेतु अंतिम सूचना पत्र दिनांक 21.09.2023 को जारी किए गए।

अनुविभागीय अधिकारी टी.टी.नगर वृत्त, राजधानी परियोजना भोपाल के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 571 दिनांक 18.10.2023 में पूर्व पत्र में प्रेषित जानकारी को संशोधित कर 01 निजी स्वामित्व की भूमि स्वामी का नाम परिवर्तित कर प्रेषित किया गया है। संशोधित पत्र में प्राप्त जानकारी के आधार पर परिवर्तित भूमि स्वामी को दिनांक 01.11.2023 को सूचना पत्र जारी किया गया।

03 निजी भूमिस्वामियों द्वारा स्वयं के द्वारा ही अतिक्रमण को हटा लिया गया है, एवं अन्य 01 प्रकरण के भूमि स्वामी आरोशिखा एजुकेशन के द्वारा हाई लेवल कमेटी को अपना रिप्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। 07 निजी भूमिस्वामियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत कर निषेधाज्ञा (स्टे आर्डर) प्राप्त किए गए हैं।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में अद्यतन जानकारी प्रेषित है।

नगर निवेशक,
भवन अनुज्ञा शाखा,
नगर पालिक निगम, भोपाल

पृष्ठा.कं............../भ.अ.शा./2024 **भोपाल, दिनांक—............../............/2024**

प्रतिलिपिः—

1. **आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से कृपया सूचनार्थ।**
2. **सहायक आयुक्त, (विधि) नगर पालिक निगम भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।**

नगर निवेशक,
भवन अनुज्ञा शाखा,
नगर पालिक निगम, भोपाल

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
dnks - 85gm - ph2j	40851/2023	22-09-2023	24	Private	LAW003022092023011505

Valid along with certificate of the authorized officer.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR
WP No. 24059 of 2023

(VINIT AJMANI** Vs **MUNICIPAL CORPORATION AND OTHERS)

Dated : <u>22-09-2023</u>

Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul - Advocate for the petitioner.

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 22-Sep-23
6:42:29 PM

of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

By way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with other connected cases in the **week commencing 16.10.2023**.

Certified Copy Today.

(SANJAY DWIVEDI)
JUDGE

Devashish

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 22-Sep-23
6:42:29 PM

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
5rat - s87c - ixv2	40865/2023	23-09-2023	24	Private	LAW003023092023010048
Valid along with certificate of the authorized officer.					

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

WP No. 24144 of 2023

(SUDHIR GUPTA** Vs **MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL AND OTHERS)

Dated : 22-09-2023

Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul - Advocate for the petitioner.

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 23-Sep-23
11:17:37 AM

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
5rat - s87c - ixv2	40865/2023	23-09-2023	24	Private	LAW003023092023010048
Valid along with certificate of the authorized officer.					

of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

B y way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with W.P. No.24059 of 2023 in the **week commencing 16.10.2023**.

Certified Copy Today.

(SANJAY DWIVEDI)
JUDGE

Devashish

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 23-Sep-23
11:17:37 AM

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
92qb - 1acp - swjv	40866/2023	23-09-2023	24	Private	LAW003023092023010052
Valid along with certificate of the authorized officer.					

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR
WP No. 24111 of 2023

(SHIKHA MAHENDRA SINGH** Vs **MUNICIPAL CORPORATION AND OTHERS)

Dated : <u>22-09-2023</u>

Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul - Advocate for the petitioner.

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 23-Sep-23
11:18:58 AM

of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

B y way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with W.P. No.24059 of 2023 in the **week commencing 16.10.2023**.

Certified Copy Today.

(SANJAY DWIVEDI)
JUDGE

Devashish

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 23-Sep-23
11:18:58 AM

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
5g87 - icrw - xy3h	40867/2023	23-09-2023	24	Private	LAW003023092023010054
Valid along with certificate of the authorized officer.					

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR
WP No. 24101 of 2023

(ARVIND AGRAWAL** Vs **MUNICIPAL CORPORATION AND OTHERS)

Dated : <u>22-09-2023</u>

Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul - Advocate for the petitioner.

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 23-Sep-23
11:20:03 AM

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
5g87 - icrw - xy3h	40867/2023	23-09-2023	24	Private	LAW003023092023010054
Valid along with certificate of the authorized officer.					

of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

B y way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with W.P. No.24059 of 2023 in the **week commencing 16.10.2023**.

Certified Copy Today.

(SANJAY DWIVEDI)
JUDGE

Devashish

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 23-Sep-23
11:20:03 AM

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
e97j - 3tcb - mvgx	40868/2023	23-09-2023	24	Private	LAW003023092023010057
Valid along with certificate of the authorized officer.					

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

WP No. 24098 of 2023

(MAMTA YADAV** Vs **MUNICIPAL CORPORATION AND OTHERS)

Dated : <u>22-09-2023</u>

Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul - Advocate for the petitioner.

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 23-Sep-23
11:21:06 AM

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
e97j - 3tcb - mvgx	40868/2023	23-09-2023	24	Private	LAW003023092023010057
Valid along with certificate of the authorized officer.					

of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

B y way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with W.P. No.24059 of 2023 in the **week commencing 16.10.2023**.

Certified Copy Today.

(SANJAY DWIVEDI)
JUDGE

Devashish

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 23-Sep-23
11:21:06 AM

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
5xkw - edz8 - tqpm	40869/2023	23-09-2023	24	Private	LAW003023092023010061
Valid along with certificate of the authorized officer.					

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR
WP No. 24093 of 2023

(AVDESH AGRAWAL Vs ***MUNICIPAL CORPORATION AND OTHERS)***

Dated : 22-09-2023

Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul - Advocate for the petitioner.

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 23-Sep-23
11:22:09 AM

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
5xkw - edz8 - tqpm	40869/2023	23-09-2023	24	Private	LAW003023092023010061
Valid along with certificate of the authorized officer.					

of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

B y way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with W.P. No.24059 of 2023 in the **week commencing 16.10.2023**.

Certified Copy Today.

(SANJAY DWIVEDI)
JUDGE

Devashish

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Signed by: SATYAPAL KORI
Signing time: 23-Sep-23
11:22:09 AM

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR
WP No. 24123 of 2023

(SUSHMA PATHAK Vs ***MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL AND OTHERS)***

Dated : 03-10-2023

Shri Manoj Sharma - Senior Advocate assisted by Shri Kabeer Paul - Advocate for the petitioner.

Shri Sanjay K. Agrawal - Advocate for respondents No. 1 and 2.

Shri Amit Sharma - Government Advocate for State - on advance copy.

Shri Agrawal, points out that Municipal Corporation, Bhopal, had received a Demi Official letter dated 09.09.2023, from the concerned Sub Divisional Officer (Revenue), who took measurement and pointed out that the construction carried out by the petitioner is within 33 meters of full tank level of Kaliasote pond..

Reading from Annx.P/2, which is copy of Bhopal Development Plan, 2005, published under the provisions of the M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, it is pointed out that Clause 4.47 (A), provides that minimum 50 meters space will be kept open from the edge of upper lake. In respect of other lake, it is prescribed that 33 meters space from the lake edge shall be kept open. Lake covered in this category are Kaliasote, which is the water body in question involved in the present case.

It is also submitted that these measurements were taken as per the accepted map provided by Water Resources Department to the officials of the Revenue Department.

It is submitted that as per his instructions, he has placed communication made by the Sub Divisional Officer (Nazul) T.T. Nagar, Bhopal (M.P.), dated 09.09.2023, on record and in this list, name of the petitioner appears at Serial

Signature Not Verified
Signed by: ASHWANI PRAJAPATI
Signing time: 03-10-2023 18:13:41

No.13, wherein, name of the village is mentioned as Khudaganj, name of the owner is that of the petitioner and then Khasra Number is given as 59/1/11, 60, 61, 65, 105/66, measuring 0.1860 hectare, where a restaurant in the name of "Hide Out Restaurant" is being run and managed by the petitioner. It is also submitted that Revenue Department and Town and Country Planning are necessary party. It is also submitted that even restaurant has been constructed without competent permission and as such, it is an illegal construction.

It is also submitted that under Section 307 (5) of the Municipal Corporation Act, petitioner has a remedy of approaching the District Court.

Shri Sharma, in his turn, submits that issue involved in the present show cause notice Annx.P/1, is not in regard to illegal construction, but is in regard to construction which is coming within the range of 33 meters as prescribed by the Bhopal Development Plan, 2005.

After hearing learned counsel for the parties, for the present, it is necessary that Shri Sharma, impleads Collector Bhopal, Sub Divisonal Officer (Nazul) T.T. Nagar, Bhopal, Director, Town & Country Planning, M.P. Bhopal and also the Engineer in Chief, Water Resources Department as a party, for which on oral request permission is granted.

Let needful be done during the course of the day.

Shri Amit Sharma, learned Govt. Advocate seeks and is granted three days' time to seek instructions in this regard and produce necessary documents.

In the meanwhile, petitioner's counsel is also directed to bring on record copy of the order passed by NGT in Original Application No.135/2014 (CZ) and I.A.No.35/2023, decided on 11.08.2023.

Respondent/State is directed to clarify that where-from the term full tank

Signature Not Verified
Signed by: ASHWANI PRAJAPATI
Signing time: 03-10-2023 18:13:41

level has come because the Bhopal Development Plan, 2005, in Clause 4.47, does not use the term full tank level, but uses the term "From the Lake Edge".

Let these instructions be completed.

Let copy of the petitioner be also supplied to Shri Amit Sharma, during the course of the day.

List this case on 11.10.2023 on top of the list.

Till then interim protection granted earlier shall continue.

(VIVEK AGARWAL)
JUDGE

A.Praj.

Signature Not Verified
Signed by: ASHWANI PRAJAPATI
Signing time: 03-10-2023 18:13:41

ANNEXURE R-6

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक / 214 / रीडर–1 / 2024 भोपाल दिनांक 15.03.2024

प्रति,

श्री बृजेश शर्मा
क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

विषय – माननीय एनजीटी के प्रकरण क्रमांक 07/2022 एवं 12/2022 सीजेड (सुभाष सी.पाण्डेय विरूद्ध म0प्र0 शासन व अन्य) के संबंध में जानकारी प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ – आपका पत्र कमांक 864/तकनीकी/एनजीटी/प्रनिओ/24 भोपाल दिनांक 20.02.2024

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पालन में माननीय एनजीटी के प्रकरण क्रमांक 07/2022 एवं 12/2022 सीजेड .(सुभाष सी पाण्डेय विरूद्ध म0प्र0 शासन व अन्य) में प्रस्तुत एप्लीकेशन क्रमांक 06/2024 का अवलोकन कर यथास्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

यह लेख है कि माननीय एनजीटी के निर्देश के पालन में जांच उपरान्त एफटीएफ लेवल के 33 मीटर के दायरे में शासकीय भूमि पर कुल 18 अतिक्रमण पाए गए, जिनमें से कुल 15 अतिक्रमण/निर्माण के संबंध में अतिक्रामकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रचलित है एवं अतिक्रामकों को अंतिम सूचना पत्र जारी किए गए हैं। उक्त प्रकरणों में नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

एफटीएल लेवल के 33 मीटर के दायरे में कुल 03 शासकीय भवन/निर्माण पाए गए जिनको स्थानान्तरित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर द्वारा संबंधित विभागों को पत्र जारी किए गए हैं –

1. ग्राम महुआखेड़ा में निर्मित 33 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु कनिष्ठ अभियंता, म0प्र0म0क्षे0वि0वि0कं0लि0, भोपाल को लेख किया गया है।
2. ग्राम महुआखेड़ा में संचालित शासकीय सैटेलाईट, शाला भवन, सरोतीपुरा को अन्यत्र स्थापित करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को लेख किया है।
3. ग्राम बेरखेड़ी बाज्याफ्त में निर्मित सामुदायिक भवन को अन्यत्र स्थापित करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फंदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया है।

अतः अनुरोध है कि माननीय एनजीटी के प्रकरण क्रमांक 07/2022 एवं 12/2022 सीजेड (सुभाष सी.पाण्डेय विरूद्ध म0प्र0 शासन व अन्य) में प्रश्नाधीन अतिक्रमणों को हटाए जाने हेतु लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए 90 दिवस का समय लिया जाना उचित होगा। अतः प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर, भोपाल

पृ0क्र0/ 215 /प्रवा–3/2024 भोपाल, दिनांक 15.03.2024

प्रतिलिपिः– 1. श्रीमान कलेक्टर महोदय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ एवं प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर, भोपाल

Scanned with CamScanner

कार्यालय जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 1332 / ज.पं.. / 2024

भोपाल दिनांक 15/03 / 2024

सूचना–पत्र

प्रति,

सरपंच / सचिव
ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये शासकीय भूमि पर निर्माण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– 1. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 3403 / ज.पं. / 2023 भोपाल दिनांक 12 / 09 / 2023

-000-

संदर्भित कार्यालयीन पत्र द्वारा आपको माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा खसरा क्रमांक 470 शासकीय भूमि रकबा 0.400 है. 30X30=900 वर्गफीट पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है । जो कि जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल होने से उक्त निर्माण को हटाने के संबंध मे आपसे 15 दिवस मे स्पष्टीकरण चाहा गया था । जो पंचायत द्वारा प्रस्तुत नही किया गया । माननीय हरित अधिकरण मे प्रचलित प्रकरण मे दिये गये निर्देश के अनुसार उक्त समस्त निर्माण कार्यो का समय–सीमा मे हटाया जाना अत्यावश्यक है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये उक्त सामूदायिक भवन का निर्माण हटाने की कार्यवाही 07 दिवस मे पूर्ण करे । अन्यथा की स्थिति मे ग्राम पंचायत पदधारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी ।

SPanse
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

भोपाल दिनांक /03 / 2024

पृ.क्रमांक / 1333 / ज.पं. / 2024
प्रतिलिपि :–
1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

SPanse
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

प्राप्त
सचिव
ग्राम पंचायत बेरखेड़ीवाज्याफ्त
नारायण सिंह मारण
मो. 9407254614

Scanned with CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कमांक/ 07 /ग्रा.पं./2024 दिनांक 15/03/2024

सूचना–पत्र

ANNEXURE R-8 (colly)

प्रति,

डॉ. प्रमोद श्रीवास्तव
ग्राम बेरखेडीवाज्याफ्त

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक/665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त के पत्र कमांक/02/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक/1276/प्रवा–3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा कमांक 286/1/1 (निजी) मे कुल रकबा 0.336 हैक्टे. मे से 0.060 हैक्टे. मे 15X20=300 वर्गफीट का कच्चा मकान टीनशेड का बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त

सचिव ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त जनपद पंचायत फन्दा–भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 08 / ग्रा.पं. / 2024 दिनांक 15 / 03 / 2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्री आलोक नन्दा / अशोक नन्दा
संचालक मेसर्स आई.पी.एस.प्रा.लि.
ग्राम बेरखेडीवाज्याफ्त

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त के पत्र क्रमांक / 01 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 478 (निजी) मे कुल रकबा 0.710 हैक्टे. मे से 0.150 हैक्टे. मे पाली हाउस बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त

सचिव
ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफ्त
जनपद पंचायत,फन्दा–भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

<u>कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया जनपद पंचायत फन्दा भोपाल</u>

कमांक / 44 / ग्रा.पं. / 2024 दिनांक 16 / 03 / 2024

<u>सूचना–पत्र</u>

प्रति,

श्री अशीष त्रिपाठी / सुभाष चन्द्र त्रिपाठी
ग्राम भानपुरकेकडिया

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया के पत्र क्रमांक / 03 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 69 / 2 (निजी) मे कुल रकबा 0.620 हैक्टे. मे से 20X20=400 वर्ग फीट पर पक्का मकान टीनशेड की छत का निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया

सचिव
ग्राम पंचायत भानपुर केकड़िया
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

POWER SAVER TO

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 43 / ग्रा.पं. / 2024 दिनांक / 6 / 03 / 2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्री अशीष त्रिपाठी / सुभाष चन्द त्रिपाठी
ग्राम भानपुरकेकडिया

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया के पत्र क्रमांक / 02 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 72 / 1 / 2 (निजी) मे कुल रकबा 0.482 हैक्टे. मे से 20X10=200 वर्ग फीट पर अर्द्ध पक्का मकान की छत का निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत भानपुर केकडिया
विकास खण्ड फन्दा भोपाल
सचिव
ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया
भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

दिनांक 16/03/2024

कमांक/ 45 /ग्रा.पं./2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्री मनीष त्रिपाठी/सुभाष चन्द्र त्रिपाठी
ग्राम भानपुरकेकडिया

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिकमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक/665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया के पत्र कमांक/01/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक/1276/प्रवा–3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा कमांक 77 (निजी) मे कुल रकबा 0.670 हैक्टे. मे से 30X40=1200 वर्ग फीट मे पक्का मकान टीनशेड की छत से बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिकमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिकमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया
विकास खण्ड फन्दा भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 36 / ग्रा.पं. / 2024 दिनांक 15/03/2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्रीमती इन्द्रा / उमाकांत
ग्राम फतेहपुरडोबरा

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी के पत्र क्रमांक / 28 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 347 (निजी) मे कुल रकबा 1.620 हैक्टे. मे से 0.0100 हैक्टे. मे 20X25=500 वर्गफीट का पक्का मकान बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत छापरी

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक/37 /ग्रा.पं./2024 दिनांक 15/03/2024

सूचना–पत्र

प्रति,

अरूण एल सिंह देव/एन.एस.सिंह देव
ग्राम महुआखेडा

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक/665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी के पत्र क्रमांक/24/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1276/प्रवा–3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 34/4 (निजी) मे कुल रकबा 0.668 हैक्टे. मे से 0.027 हैक्टे. मे 50X60=3000 वर्गफीट मे प्लिंथ एवं कॉलम निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत छापरी

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक/38 /ग्रा.पं./2024 दिनांक 15/03/2024

सूचना–पत्र

प्रति,

आमिर खान/वहाब खान
ग्राम महुआखेड़ा

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक/665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी के पत्र क्रमांक/26/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1276/प्रवा–3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 413, 410/2/1–41,1–412 (निजी) मे कुल रकबा 0. 180 हैक्टे. एवं 0.7540 हैक्टे. मे से 0.0120 हैक्टे. एवं 0.80 हैक्टे. मे पक्का मकान एक मंजिल एवं 400 वर्गफीट प्लिंथ एवं कॉलम का निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत छापरी

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 11 /ग्रा.पं. / 2024 दिनांक 15/ 03 / 2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्री अजय सिंह / अर्जुन सिंह
ग्राम मैंडोरा

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा के पत्र क्रमांक / 05 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 226 (निजी) मे कुल रकबा 0.60 हैक्टे. जिसमे से 0.60 हैक्टेयर मे सोलर पावर शेड लगाकर एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 12 /ग्रा.पं. /2024 दिनांक 15/03/2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्री शरद कुमार सांघी / सोहनलाल सांघी
ग्राम मैंडोरा

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा के पत्र क्रमांक / 02 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 246 / 1 (निजी) मे कुल रकबा 0.170 हैक्टे. मे से 0.100 हैक्टे. मे मीट्टी खोदकर 25X40 वर्ग मीटर भराव किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कमांक / 13 / ग्रा.पं. / 2024 दिनांक 15 / 03 / 2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्री राकेश लीला / पी.सी.लीला
ग्राम मैंडोरा

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिकमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा के पत्र कमांक / 01 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा कमांक 235 (निजी) मे कुल रकबा 0.400 हैक्टे. मे से 700 वर्ग फीट मे 30 फीट व्यास की झोपड़ीनुमा टीनशेड का निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिकमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 14 / ग्रा.पं. / 2024 दिनांक 15/03/2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्री अजय सिंह / अर्जुन सिंह
ग्राम मैंडोरा

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा के पत्र क्रमांक / 05 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 232 एवं 234 (निजी) मे कुल रकबा 0.630 हैक्टे. तथा 0.250 हैक्टे. मे से 0.100 हैक्टेयर मे 50X50=2500 वर्ग फीट मे किचिन शेड व अस्थाई कुर्सी लगाकर तथा गार्डन बनाकर पक्का कॉटेज निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा
सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 15 /ग्रा.पं. /2024 दिनांक 15/03/2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्री निशा पी राजानी / पुरूषोत्तम राजानी
ग्राम मैंडोरा

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा के पत्र क्रमांक / 04 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 254 एवं 255 (निजी) मे कुल रकबा 0.0970 हैक्टे. मे से 0.010 हैक्टे. मे 20X60 वर्ग फीट पर टीनशेड की पक्की दीवार का निर्माण किया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 16 / ग्रा.पं. / 2024 दिनांक 15/03/2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्री राजकिशोर सिंह एवं अरविन्द सिंह / जितेन्द्र सिंह
ग्राम मैंडोरा

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा के पत्र क्रमांक / 03 / ग्रा.पं. / 2023 दिनांक 11 / 09 / 2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा–3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा क्रमांक 246 / 2 (निजी) मे कुल रकबा 0.080 हैक्टे. मे से 0.015 हैक्टे. मे 40X40 वर्ग फीट पक्की दीवार पर टीनशेड बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा
जनपद पंचायत भोपाल

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कमांक/ 17 /ग्रा.पं./2024 दिनांक 15/03/2024

सूचना–पत्र

प्रति,

श्री अवनि वैश्य/एल.पी.वैश्य
ग्राम मैंडोरा

विषय :– केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि मे किये गये निजी भूमि पर अतिकमण को हटाने बाबत् ।

संदर्भ :– कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक/665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

कार्यालय ग्राम पंचायत मैंडोरा के पत्र कमांक/07/ग्रा.पं./2023 दिनांक 11/09/2023 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच मे प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक/1276/प्रवा–3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि मे जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मे यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा कमांक 144/2 (निजी) मे कुल रकबा 0.100 हैक्टे. मे से 0.050 हैक्टे. मे 15X10 वर्ग फीट का टीनशेड एवं बगीचा बनाया गया है जिससे एफ.टी.एल. से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी मे आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकुल है । अतः उक्त संबंध मे अपना स्पष्टीकरण संदर्भित पत्र के द्वारा 15 दिवस चाहा गया था । आपके द्वारा उक्त संबंध मे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया । अतः जलाशय सीमा क्षेत्र से स्वयं अतिक्रमण हटाये जाने के लिये आपको एक सप्ताह का अंतिम अवसर प्रदाय किया जाना नियत किया गया है । नियत समयावधि मे आपके द्वारा स्वमेव अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा मे म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तकर माननीय हरित प्राधिकरण को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर निर्माण ध्वस्त करने पर हुये व्यय की वसूली आपसे की जावेगी ।

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

सचिव
ग्राम पंचायत मैंडोरा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला पंचायत भोपाल म०प्र०

(जिला जल एवं स्वच्छता मिशन भोपाल)
(ब्लाक-03 जिला कोषालय के पास पुराना सचिवालय, भोपाल-462001)
दूरभाष 0755-2540964, 2749815, फैक्स 0755-2738041
ई-मेल ceozpbho@mp.gov.in

क्र./7973/जि.पं./एसबीएम(जी.)/2024 भोपाल, दिनांक 15/03/2024

ANNEXURE R-9 (colly)

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-भोपाल।

विषय :- **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक OA No.07/2022(CZ) OA No. 12/2022 (CZ) (डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में आदेश दिनांक 20.09.2023 एवं आदेश दिनांक 15.02.2024 के अनुपालन बावत्।**

संदर्भ :- डायरेक्टर पर्यावरण (तकनीकी), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल एवं प्रभारी अधिकारी का पत्र पृ.क्र.865, दिनांक 20.02.2024

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक OA No.07/2022(CZ) OA No. 12/2022 (CZ) (डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में आदेश दिनांक 20.09.2023 एवं आदेश दिनांक 15.02.2024 के द्वारा अद्यतन जानकारी चाहीं गई है। जिला पंचायत भोपाल से संबधित जानकारी संलग्न कर सादर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

15/3/24

अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत भोपाल

पृ.क्र./7974/जि.पं./एसबीएम(जी.)/2024 भोपाल, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि -

1. डायरेक्टर पर्यावरण (तकनीकी), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल एवं प्रभारी अधिकारी की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फंदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. ग्राम पंचायत मेंडोरा एवं मेंडोरी, जनपद पंचायत फंदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/24

अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत भोपाल

E:\Shiv Sess-2021\Fecal Sludge Managment\FSM Letter-2021 36

Scanned with OKEN Scanner

Update reply from CEO Zila Panchayat Bhopal regarding NGT Cave

Contention of Applicant
On sewage treatment, it was briefed that out of the total 1.25 MLD of untreated sewerage Bowing into the Kaliyasot reservoir, 0.60 MLD untreated sewerage has already been connected with the existing sewerage network in October 2023. For remaining 0.65 MLD untreated sewerage, second call of Tender for 2 STPs (tender value of 3 cr) was opened on 20 12.2023 and Letter of Acceptance has been issued to the Li bidder on 02.01.2024 The work is expected to be completed within 3 months from the date of issue of work order CEO Zila Panchayat Bhopal informed that in Mandora village, construction of 02 DEWATS is under tender process while in Mendori village, construction of 10 leach pits and 01 DEWATS is under progress. In Kushalpura village 02 soak pits/end point structures for sewage discharge has been constructed Chief Secretary directed that the timeline be strictly adhered to.
Update Reply
1- The agency for said work has been identified and the agreement process has been completed. Work order agreement and photos are enclosed. 2- Out of 10 works 08 structure have been completed. Remaining will be completed soon. Sancation order photos and user group enclosed. 3- In kushalpura village 02 soak pits/end point discharge structure is constructed for systematic disposal of grey water. Photographs and user group enclosed.

E:\Shiv Jees-2021\SLWM & LWM & Door to Door Kachra\SLWM Letter-2021

36

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल
(Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899)
(E-mail adress:dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पं.रा./निर्माण-21/2023/ २५०२८. भोपाल, दिनांक 12/09/2023

//आदेश//

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के पत्र क्रमांक/5075/जि.पं./एसबीएम/2023 भोपाल दिनांक 08.09.2023 द्वारा प्रस्तावित ग्राम मेंडोरा जनपद पंचायत फंदा के अपशिष्ट जल (ग्रे-वाटर) के व्यवस्थित निपटान हेतु 02 डी-वाट्स संरचना निर्माण कार्य हेतु जिला पंचायत भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार राशि रूपये 33.54 लाख (तैतीस लाख चौवन हजार रूपये मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति संचालनालय की योजना **क्रमांक-7668-स्थानीय निकायो को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)** राज्य वित्त आयोग मद से निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

2. शर्ते:-

2.1 निर्माण कार्य की निर्माण एजेन्सी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होगी।

2.2 निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के निर्धारित तकनीकी मापदण्डो एवं अवयवों के अनुसार करना होगा।

2.3 निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भोपाल द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति अनुसार करना होगा।

2.4 संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करेगें।

2.5 निर्माण का चरणबद्ध मानक मूल्यांकन कराना होगा।

2.6 निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराना होगा।

2.7 कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जनपद पंचायत में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

2.8 निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शासकीय भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। भूमि की उपलब्धता होने पर ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जावें।

2.9 निर्माण कार्य में किसी भी स्थिति में कोई भी तकनीकी/प्रशासकीय संशोधन एवं पुनरीक्षण नहीं किया जावेगा।

2.10 यदि निर्माण कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रदाय की जाने वाली राशि पंचायत राज संचालनालय को वापिस की जाए एवं इसकी सूचना संचालनालय को तत्काल दी जावें।

2.11 निर्माण कार्य की 50 प्रतिशत राशि जिला पंचायत भोपाल को प्रथम किश्त के रूप में प्रदाय की जावेगी। द्वितीय किश्त की शेष 50 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर जिला पंचायत से मांग प्राप्त होने पर प्रदाय की जावेगी।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. केदार सिंह) 12/09/2023
संचालक सह आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

//2//

पृ./क्रमांक/पं.रा./निर्माण-21/2023/ 25029   भोपाल, दिनांक 12/09/2023

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक माननंत्रीजी ., पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय आयुक्त, भोपाल संभाग म.प्र की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से तत्काल जारी कराते हुये एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तुत करें तथा पर्यवेक्षण/निरीक्षण समय-समय पर करते हुये तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराये।
6. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्माण कार्य की प्रथम किश्त की राशि जिला पंचायत भोपाल के एकल खाते में अंतरित करें तथा वित्तीय स्वीकृति जारी करें एवं राशि अंतरण की सूचना निर्माण अनुभाग को देवें।
8. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भोपाल की ओर तत्काल तकनीकी स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये एक प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराने हेतु।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल को पालनार्थ।
10. संबंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को सूचनार्थ।

12/09

संचालक सह आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

NIRMAN ORDER 2019-20 A

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पैट्रोल पंप के पास) भोपाल
(Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899)
(E-mail adress:dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पं.रा./निर्माण-21/2023/ 24030.

भोपाल, दिनाक 12/09/2023

//आदेश//

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के पत्र क्रमांक/5079/जि.पं./एसबीएम/2023 भोपाल दिनांक 08.09.2023 द्वारा प्रस्तावित ग्राम मेंडोरी जनपद पंचायत फंदा के अपशिष्ट जल (ग्रे-वाटर) के व्यवस्थित निपटान हेतु 10 कम्यूनिटी लीचपीट एवं 01 डी-वाट्स संरचना निर्माण कार्य हेतु जिला पंचायत भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार राशि रूपये 7.59 लाख (सात लाख उनसठ हजार रूपये मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति संचालनालय की योजना क्रमांक-7668-स्थानीय निकायो को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) राज्य वित्त आयोग मद से निम्न शर्तो के तहत प्रदान की जाती है।

2. शर्ते:-

2.1 निर्माण कार्य की निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत होगी।

2.2 निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के निर्धारित तकनीकी मापदण्डो एवं अवयवों के अनुसार करना होगा।

2.3 निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भोपाल द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति अनुसार करना होगा।

2.4 संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करेगें।

2.5 निर्माण का चरणबद्व मानक मूल्यांकन कराना होगा।

2.6 निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराना होगा।

2.7 कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जनपद पंचायत में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

2.8 निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व शासकीय भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। भूमि की उपलब्धता होने पर ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जावे।

2.9 निर्माण कार्य में किसी भी स्थिति में कोई भी तकनीकी/प्रशासकीय संशोधन एवं पुनरीक्षण नहीं किया जावेगा।

2.10 यदि निर्माण कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रदाय की जाने वाली राशि पंचायत राज संचालनालय को वापिस की जाए एवं इसकी सूचना संचालनालय को तत्काल दी जावें।

2.11 निर्माण कार्य की 50 प्रतिशत राशि जिला पंचायत भोपाल को प्रथम किश्त के रूप में प्रदाय की जावेगी। द्वितीय किश्त की शेष 50 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर जिला पंचायत से मांग प्राप्त होने पर प्रदाय की जावेगी।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. केदार सिंह) 12.09.2023
संचालक सह आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

NIRMAN ORDER 2019-20

Scanned with OKEN Scanner

//2//

पृ./क्रमांक/पं.रा./निर्माण-21/2023/ 2503/ भोपाल, दिनाक 12/09/2023

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय आयुक्त, भोपाल संभाग म.प्र की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से तत्काल जारी कराते हुये एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तुत करें तथा पर्यवेक्षण/निरीक्षण समय-समय पर करते हुये तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण करायें।
6. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्माण कार्य की प्रथम किश्त की राशि जिला पंचायत भोपाल के एकल खाते में अंतरित करें तथा वित्तीय स्वीकृति जारी करें एवं राशि अंतरण की सूचना निर्माण अनुभाग को देवे।
8. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भोपाल की ओर तत्काल तकनीकी स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये एक प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराने हेतु।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल को पालनार्थ।
10. संबंधित सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को सूचनार्थ।

संचालक सह आयुक्त
12/09/2023
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल संभाग भोपाल

पुराना सचिवालय, लोक आयुक्त कार्यालय के पास भोपाल
E-mail Address- eeresbhopal@mp.gov.in, Phone no 0755-2541072

क्रमांक / 68 / निविदा / ग्रा.यां.से. / 2024 भोपाल दिनांक – 22/02/2024

प्रति,

ASHISH TRADERS,
HOUSE NO. 17 GRAM MUNDLA,
BHOPAL 462044

विषय :– जनपद पंचायत फंदा के ग्राम मेंडोरा मे अपशिष्ट जल 02 (ग्रे वाटर) के व्यवस्थित निपटान हेतु डी–वाट्स संरचना निर्माण कार्य (35 केएलडी एवं 70 केएलडी) के निर्माण कार्य के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्य हेतु आपके द्वारा प्रथम आमंत्रण के आनॅलाईन में प्रस्तुत निविदा दिनांक 19.01.2024 को कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रायांसे मंडल भोपाल द्वारा दिनांक 09.02.2024 को स्वीकृत की गई थी। आपके द्वारा दिनांक 20.02.2024 को अनुबंध किया गया।

कार्य का नाम	–	जनपद पंचायत फंदा के ग्राम मेंडोरा मे अपशिष्ट जल 02 (ग्रे वाटर) के व्यवस्थित निपटान हेतु डी–वाट्स संरचना निर्माण कार्य (35 केएलडी एवं 70 केएलडी) के निर्माण कार्य वि.ख. फंदा जिला भोपाल।
निविदाकार का नाम	–	आशीष ट्रेडर्स,
स्वीकृत दर	–	2.00 प्रतिशत कम (2.00 % Below)
प्रचलित सी.एस.आर.	–	सिविल कार्य हेतु दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील एवं निविदा दिनांक तक संशोधित
स्वीकृति एवं दिनांक	–	अधीक्षण यंत्री ग्रा.यां.से. मंडल भोपाल का पत्र क 253 दिनांक 09.02.2024
कार्य पूर्ण करने की अवधि	–	अनुबंध दिनांक 20.02.2024 से 120 दिवस
कार्य की अनुमानित लागत	–	26,84,000/–लाख (छब्बीस लाख चौरासी हजार रूपये मात्र)
कार्य की अनुबंध लागत	–	26,30,320/–लाख (छब्बीस लाख तीस हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र)
जी.एस.टी. की लागत	–	4,73,458/– लाख (चार लाख तेहत्तर हजार चार सौ अठावन रूपये मात्र)
अनुबंध क	–	24/20.02.2024

अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.यां.से. उपसंभाग भोपाल से कार्य हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करें।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
भोपाल संभाग भोपाल

\Chandan\e\Tender Approval

Work order

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

//2//

पृ0क्रमांक / 609 /निविदा / ग्रा.यां.से. / 2024 भोपाल दिनांक – 22/02/2024

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियंता, ग्रा.यां.सेवा विंध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, ग्रा.यां.सेवा परिक्षेत्र कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. अधीक्षण यंत्री ग्रा.यां.से. मंडल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.यां.से. उपसंभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लिखा जाता है, कि निविदाकार आशीष ट्रेडर्स, को कार्य हेतु खाका ले–आउट देकर इस कार्यालय को सूचित करें।
7. मानचित्रकार कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. .... उपयंत्री (सिविल) ग्रा.यां.से. जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
भोपाल संभाग भोपाल

\\Chandan\e\Tender Approval

Work order

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

Office of the Executive Engineer, Rural Engineering Services, Division Bhopal
Old Secretariat Bhopal Pin code 462001

Annexure – L
(See clause 21 of Section 2 -ITB)

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

Letter No 495 **/Tender/RES/2024** **Bhopal, Dated: 16-02-2024**

To,

M/s.Ashish Traders
H.No 17, Gram Mundla,
District Bhopal
Pin Code 462044
M. NO. 9340679448
Email ID av433617@gmail.com

Subject: Construction of Integrated Settler ABRF & AF 35 KLD & 70 KLD at Gram panchayat Mendora JP Phanda District Bhopal

Ref. Superintending Engineer, Rural Engineering Services, Bhopal Circle Bhopal Letter No

Dear Sir (s),

Your bid for the work mentioned above has been accepted on behalf of the Governor of Madhya Pradesh at your bided percentage 2.00 below or at par the Bill of Quantities and item wise rates given therein.

You are requested to submit within 15 (Fifteen) days from the date of issue of this letter:

a. The performance security/ performance guarantee of Rs. 1,31,500.00 (in figures One Lac Thirty One Thousand Five Hundred Only) in words only). The performance security shall be in the shape of term deposit receipt/ bank guarantee of any nationalized / schedule commercial bank valid up to three months after the expiry of defects liability period.
b. Stamp Duty of Rupees 500.00 Should be submitted.
c. Sign the contract agreement.

Please note that the time allowed for carrying out the work as entered in the bid is 04 months including rainy season, shall be reckoned from the date of signing the contract agreement.

Signing the contract agreement shall be reckoned as intimation to commencement of work and no separate letter for commencement of work is required. Therefore, after signing of the agreement, you are directed to contact the Engineer-in-charge for taking the possession of site and necessary instructions to start the work.

Executive Engineer
Rural Engineering Services
Division Bhopal

Endorsement 496 **/Tender/RES/2024** **Bhopal, Dated: 16-02-2024**

1. Superintending Engineer, Rural Engineering Services, Bhopal Circle Bhopal.
2. Chief Executive Officer, Zila Panchayat, District Bhopal.

Executive Engineer
Rural Engineering Services
Division Bhopal

Scanned with OKEN Scanner

(See Clause-12 of Section 2 – ITB & Clause 4 of GCC)

ORGANIZATIONAL DETAILS

(To be contained in Envelope-A)

S. No.	Particulars	Details
1	Registration number issued by Centralized Registration System of Govt. of M.P. or Proof of application for registration.	(if applicable scanned copy of proof of application for registration to the uploaded)
2	Valid Registration of bidder in appropriate class through Centralized Registration of Govt. of MP	Registration No:- PWD230063447 Date:- 09/03/2023 (Scanned copy of Registration to be uploaded)
3	Name of Organization/Individual/ Proprietary Firm/ Partnership Firm	ASHISH TRADERS
4	Entity of Organization Individual/ Proprietary Firm/ Partnership Firm Registered under Partnership Act)/ Limited Company, (Registered under the Companies Act-1956)/ Corporation/ Joint Venture	PROPRIETOR ASHISH VERMA
5	Address of Communication	HOUSE NO 17, GRAM MUNDLA, BHOPAL, DIST-BHOPAL, MADHYA PRADESH, 462044
6	Telephone Number with STD Code	
7	Fax Number with STD Code	
8	Mobile Number	9340679448
9	E-mail Address for all communications	av433617@gmail.com
	Details of Authorized Representative	
10	Name	ASHISH VERMA
11	Designation	PROPRIETOR
12	Postal Address	HOUSE NO 17, GRAM MUNDLA, BHOPAL, DIST-BHOPAL, MADHYA PRADESH, 462044
13	Telephone Number with STD Code	NA
14	Fax Number with STD Code	NA
15	Mobile Number	9340679448
16	E-mail Address	av433617@gmail.com

Note: *In case of partnership firm and limited company certified copy of partnership deed/ Articles of Association and Memorandum of Association along with registration certificate of the company shall have to be enclosed.*

For Ashish Traders
आशीष
Proprietor

Signature of Bidder with Seal

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रमुख अभियंता पंजीयन लोक निर्माण विभाग
(केंद्रीयकृत ठेकेदार पंजीयन प्रकोष्ठ)

कार्यालय प्रमुख अभियंता निर्माण भवन प्लॉट नंबर 27 & 28 , अरेरा हिल्स, भोपाल

ठेकेदार पंजीयन प्रमाण-पत्र

आवेदक का विवरण	
फर्म का नाम	ASHISH TRADERS
सोल प्रोप्राइटर का नाम	ASHISH VERMA
स्थाई पता	HOUSE NO 17, GRAM MUNDLA, BHOPAL, DIST-BHOPAL, MADHYA PRADESH, 462044

पंजीयन क्रमांक	संवर्ग	वैधता	
		पंजीयन दिनांक	समाप्ति दिनांक
PWD230063447	CIVIL	09/03/2023	08/03/2033

प्रोप्राइटर का टिन नंबर/जी.एस.टी नंबर	प्रोपिएटर का पैन नंबर
23BTUPV7295Q1Z6	BTUPV7295Q

कृपया नियम और शर्तों हेतु इस प्रमाण पत्र के पीछे देखें।
ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी आईडी क्रमांक-PWD230063447

मुख्य अभियंता (पंजीयन)

Digitally Signed By Deepak Asai (Personal)
Date : 10-Mar-2023 18:09:16 IST

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BW 695485

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

Annexure – B
(See clause 3 of Section 1 -NIT)

|| AFFIDAVIT ||
(To be Contained in Envelope A)
(On Non Judicial Stamp of Rs. 100)

I/we ASHISH VERMA who is/ are PROPRIETOR (status in the firm/ company) and competent for submission of the affidavit on behalf of M/S ASHISH TRADERS (contractor) do solemnly affirm an oath and state that:

I/we am/are fully satisfied for the correctness of the certificates/records submitted in supportof the following information in bid documents which are being submitted in response to noticeinviting e-tender No. 2023_RES_322878_1 for Construction of Integrated Settler ABRF and AF 35 KLD and 70 KLD at GP Mendorajanpad Panchayat Phanda District Bhopal (name of work) dated 29/01/2024 issued by theRural Engineering Service||Chief Engineer-Zone Bhopal - RES||SE-Circle Bhopal – RES(name of the department).

I/we am/ are fully responsible for the correctness of following self-certified information/ documents and certificates:

1. That the self-certified information given in the bid document is fully true and authentic.
2. That:
   a. Term deposit receipt deposited as earnest money, demand draft for cost of bid document and other relevant documents provided by the Bank are authentic.
   b. Information regarding financial qualification and annual turnover is correct.
   c. Information regarding various technical qualifications is correct.
3. No close relative of the undersigned and our firm/company is working in the department.

OR

Following close relatives are working in the department:

Name NO   Post NO   Present Posting NO

For Ashish Traders
आशीष
Proprietor
Signature with Seal of the Deponent (bidder)

I/ We, ASHISH VERMA above deponent do hereby certify that the facts mentioned in above paras 1 to 4 are correct to the best of my knowledge and belief.

Verified today 18/01/2024 (dated) at BHOPAL (place).

For Ashish Traders
आशीष
Proprietor
Signature with Seal of the Deponent (bidder)

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE ME BY THE WITHIN NAMED

IDENTIFIED BY ME

18 JAN 2024

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
मण्डल भोपाल, पुराना सचिवालय, भोपाल
E-Mail_ID – seresbhopal@mp.gov.in (☎) 0755–2730774

पत्र क्र. 253 /तक./ग्रा.यां.सेवा/2024 भोपाल, दिनांक 9/2/024

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग भोपाल

विषय :– जनपद पंचायत फंदा के ग्राम मेंडोरा में अपशिष्ट जल 02 (ग्रे वाटर) के व्यवस्थित निपटान हेतु डी वाट्स संरचना निर्माण कार्य (35 केएलडी एवं 70 केएलडी) (टेण्डर सिस्टम न. 322878) के निर्माण कार्य की निविदा स्वीकृति बाबत्।

संदर्भ :– निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 10/2023–24 दि. 03.1.2024।

—00—

दिनांक 06.02.2024 को अधीक्षण यंत्री कार्यालय में निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई अनुशंसानुसार जनपद पंचायत फंदा के ग्राम मेंडोरा में अपशिष्ट जल 02 (ग्रे वाटर) के व्यवस्थित निपटान हेतु डी वाट्स संरचना निर्माण कार्य (35 केएलडी एवं 70 केएलडी) (टेण्डर सिस्टम न. 322878)के कार्य की पी.ए.सी. राशि रू. 26.04 लाख है। तुलनात्मक पत्रक के अनुसार न्यूनतम निविदा दर 2.00 प्रतिशत कम एस.ओ.आर. पर कार्य की कुल लागत राशि रू. 26.30 लाख शब्दो में छब्बीस लाख तीस हजार रू. मात्र है। निविदाकार Ashish Traders द्वारा प्रस्तुत की गई दर एस.ओ.आर.(ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सिविल कार्य हेतु प्रचलित एसओआर 11.04.2022 से जारी प्रभावशील एवं निविदा जारी होने की दिनांक तक अद्यतन संशोधित दर के आधार) पर निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृत की जाती है।

(1) कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि उचित लेखा शीर्ष, जिसके अंतर्गत कार्य प्रस्तावित है, पर्याप्त आवंटन उपलब्ध है। उपलब्ध आवंटन से अधिक व्यय किन्ही भी परिस्थितियों में मान्य नहीं होगा।
(2) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ कराया जावे।
(3) नियमानुसार संबंधित ठेकेदार से अनुबंध करवाकर कार्यादेश की एक प्रति इस कार्यालय को भेजते हुये महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर एवं संबंधित कार्यालयों को भी भेजी जावें।
(4) ठेकेदार को कार्यादेश के साथ कार्य का सेंटर लाइन प्लान, अनुमोदित डिजाईन, विस्तृत आरसीसी डिजाईन, ड्राईंग भी दी जावें। जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(5) स्वीकृत ड्राइंग/प्राक्कलन में परिवर्तन/संवर्धन होने पर सक्षम प्रशासकीय एवं तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराया जावें।
(6) उपरोक्तानुसार दर स्वीकृति का समावेश करने के उपरान्त निर्माण कार्य की लागत प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा से अधिक होने पर कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करने एवं आवंटन उपलब्ध होने पर ही कार्य सम्पादित कराया जावें।
(7) कार्य प्रशासकीय स्वीकृति सीमा के अन्दर ही कराया जावें।
(8) किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
(9) नियमानुसार स्थल की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफ लिये जाकर ठेकेदार से कार्य प्रारंभ कराया जावे।
(10) आवंटन प्राप्त होने पर ही अनुबंध की कार्यवाही की जावे।
(11) परफारमेन्स एवं डिफेक्ट लायबिलिटी शर्ते लागू होगीं।
(12) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 19–51/2017/1/4 दिनांक 24.07.2017 अनुसार सभी वर्क कान्ट्रेक्ट पर जी.एस.टी. लागू होने से निविदा के एपेंडिक्स 2.10 के सेक्शन 03. विशेष के क्रम में जी.एस.टी. टैक्स का भुगतान शासन द्वारा पृथक से ठेकेदार को किया जावेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (निविदा प्रकरण मूलतः)

(हस्ताक्षर) 9/2/24
(सज्जन सिंह चौहान)
अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
भोपाल मण्डल भोपाल

पृ. क्र. 254 /तक./ग्रा.यां.सेवा/2024 भोपाल, दिनांक 9/2/024

प्रतिलिपि :–

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश; ग्वालियर।
(2) प्रमुख अभियंता, ग्रा.यां.सेवा, विकास भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
(3) मुख्य अभियंता, ग्रा.यां.सेवा, भोपाल परिक्षेत्र भोपाल ।
(4) कलेक्टर, जिला भोपाल।
(5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल।

(हस्ताक्षर) 9/2/24
अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
भोपाल मण्डल भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

eProcurement System Government of Madhya Pradesh
Created By: SAJJAN SINGH CHOUHAN
Created Date/Time: 01-Feb-2024 05:[illegible] PM
Tender Title: Construction of Integrated Settler ABRF and AF 35 KLD and 70 KLD at GP Mendora [illegible] Bhopal
Tender ID: 2023_RES_322576_1

Tender Inviting Authority: DPE PWD PIU SEHORE

Name of Work: Construction of Integrated Settler ABRF and AF 35 KLD and 70 KLD at GP Mendora Janpad Panchayat Phanda District Bhopal

Contract No:

SCHEDULE OF WORK / ITEM(S)

Sl.No.	Bidder Name	Estimated Rate	Quoted Percentage	Quoted Rate in Figures and Words (...)	
				Rate	Amount
1.00	ASHISH TRADERS(GSTN-NA)	2684000.00	-2.00	2630320.00	Twenty Six Lakh Thirty Thousand Three Hundred and Twenty

Lowest Amount Quoted BY: ASHISH TRADERS(2630320.00)

OPEN BY ME

Rate Coded By ...Ashish Traders...

Is ...-2.00...% (Two point zero zero below)

Above/Below asper Sor. W.E.F. ...[illegible]2022

Are Senctioned

S.E., R.ES
Bhopal Circle

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल संभाग भोपाल
पुराना सचिवालय, लोक आयुक्त कार्यालय के पास भोपाल
E-mail Address- ceresbhopal@mp.gov.in, Phone no 0755-2541072

क्र./4231/तक./ग्रा.यां.सें./2023 भोपाल, दिनांक 22/12/2023

–:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::–

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 7244/वि–10/ग्रा.यां.से./2016 भोपाल दिनांक 09.12.2016 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग व हुए, पंचाराज संचालनालय म.प्र. के आदेश कमांक 24028 भोपाल दिनांक 12.09.2023 एवं ग्रा विकास विभाग की अद्यतन दर अनुसूची के आधार पर, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्राक्क के आधार पर निम्नांकित कार्य की उनके समक्ष दर्शायी गई राशि की संशोधित तकनीकी स्वीc प्रदान की जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम	स्थान	मद	तक. स्वी. जारी क्र./दिनांक	तक. स्वी. की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	डी – वाट्स संरचना निर्माण कार्य (35 KLD) शारदा विहार कॉलोनी ग्राम मेंडोरा	जनपद पंचायत फंदा	राज्य वित्त आयोग	474/ 22-12-2023	13.34
2	डी – वाट्स संरचना निर्माण कार्य (70 KLD) शारदा विद्या मंदिर सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल ग्राम मेंडोरा	जनपद पंचायत फंदा	राज्य वित्त आयोग	475/ 22-12-2023	20.19

शर्ते :–

1. निर्माण कार्य की उपयोगिता ग्रे–वाटर के व्यवस्थित निपटान के लिये है।
2. निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन एवं मानचित्र के अनुसार किया जावें।
3. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मटेरियल गुणवता की जॉच आवश्यक कराई जावें। इसकी सूच इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जावें।
4. कार्य में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं विस्तार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरा ही कराया जावें।
5. प्रशासकीय स्वीकृति राशि से अधिक व्यय मान्य नहीं किया जावेगा।
6. नॉन एस0ओ0आर0 आयटम का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन उपरांत ही कार्य प्रारं कराया जावें।
7. स्थल उपलब्धता हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करें।
8. स्वीकृति उपरांत विस्तृत डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ कराये जावें।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
भोपाल संभाग भोपाल
निरंतर.........

Scanned with OKEN Scanner

02

दिनांक 27/9/2023

प्रशासकीय स्वीकृति आदेश

[illegible] शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापन क्रमांक 08687/2470/22/वि.3.96 दिनांक 22.05.95 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत ग्राम पंचायत को ग्रामसभा की बैठक दिनांक ________ के प्रस्ताव क्र. ____ से अनुमोदित तथा अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा प्राक्कलन क्र. ____ दिनांक ________ द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निम्न कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	ग्राम	तकनीकी स्वी. राशि	प्रशासकीय स्वी. राशि	मद
1	[illegible] निर्माण [illegible]		7.51 लाख	7.51 लाख	15वां राज्य वित्त आयोग

प्रशासकीय स्वीकृति की शर्तें निम्नानुसार होंगी –

1. [illegible] प्राक्कलन एवं अनुमोदित मानचित्र अनुसार किया जावेगा तथा स्वीकृत मापदंड एवं [illegible] निर्माण कार्य कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी सरपंच की होगी। किन्हीं भी स्थिति में पुनः स्वीकृति प्रदाय नहीं की जावेगी।
2. कार्य पर लगे मजदूरों की संख्या मजदूरी एवं सामग्री पर 1 से 30 तारीख तक हुए व्यय को भी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी प्रतिमाह 2 से 5 तारीख निर्धारित प्रपत्र में जनपद पंचायत में प्रेषित की जावेगी।
3. कार्य स्थल पर निरीक्षण पंजी एवं मस्टररोल अवलोकन हेतु उपलब्ध रखे जावेंगे।
4. निर्माण कार्य मार्च ______ तक आवश्यक रूप से पूर्ण कराकर पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जावेगा तथा निर्मित परिसंपत्ति ग्रा. पंचायत/संबंधित विभाग को सौंपी जावे। ग्राम सभा में हुए निर्माण कार्य के व्यय का प्रतिवेदन प्रेषित किया जावेगा।
5. कार्य स्थल पर सूचना पटल लगाया जावे जिसमें कार्य का नाम स्वीकृति वर्ष, राशि, कार्य प्रारंभ होने की दिनांक तथा कार्य पूर्ण होने की दिनांक अंकित किया जावेगा।
6. निर्माण कार्य का प्रगति माप पुस्तिका पर दर्ज कर ही भुगतान किया जावेगा।
7. निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री क्रय करने में भंडार क्रय नियमों का पालन किया जावेगा।
8. [illegible] राशि में से प्रशासनिक/पी.ओ.एल./स्टेशनरी तथा स्थाई स्वरूप की सामग्री क्रय नहीं की जावेगी।
9. कार्य का आय-व्यय प्रतिमाह निर्माण एवं विकास समिति एवं ग्राम पंचायत की बैठक में तथा त्रैमासिक ग्राम सभा में पूर्ण ब्यौरे के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।
10. कार्य पर स्थानीय मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा।

सचिव
सचिव
ग्राम पंचायत मेंडोरी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

सरपंच
सरपंच
ग्राम पंचायत मेंडोरी
जनपद पंचायत फन्दा, भोपाल

प्रतिलिपि –

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल।
2. अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, फन्दा, भोपाल।

Scanned with OKEN Scanner

भोपाल संभाग भोपाल फोन नं 0755– 2541072
पुराना सचिवालय, लोकायुक्त कार्यालय के पास भोपाल
E-mail – ceresbhopal@mp.gov.in Phone no. 0755-2541077

0/2546/तक./ग्रा.यां.सेवा/2023 भोपाल, दिनांक 20/9/23

//तकनीकी स्वीकृति आदेश//

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 7244/22/वि 10/ग्रा.यां.से./2016 भोपाल दिनांक 09.12.2016 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संचालनालय म.प्र. के आदेश 24030 भोपाल दिनांक 12.09.2023 के आधार पर सहायक यंत्री जनपद पंचायत फंदा द्वारा तैयार ग्रामीण विकास विभाग की अद्यतन दर अनुसूची के आधार पर निम्नांकित कार्य की उनके समक्ष दर्शायी गई राशि की प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

कार्य का विवरण भाग – 1

जनपद पंचायत – फंदा

क्र0	कार्य का नाम एवं ग्राम का नाम	कार्य स्थल का विवरण			तक. स्वी. का क्र0/दि.	तकनीकी स्वीकृति राशि (राशि लाख में)
		ग्राम पंचायत	पटवारी हल्का न0 एवं खसरा न0	भूमि का स्वामित्व (शासकीय/निजी)		
1	डी वाटर संरचना निर्माण कार्य ग्राम मेंडोरा	मेंडोरी	–	–	330 18.09.23	5.83
2	कम्यूनिटी लीच पिट निर्माण कार्य वीरेन्द्र मारण डेरी के पास ग्राम मेंडोरी	मेंडोरी	–	–	331 18.09.23	0.175
3	कम्यूनिटी लीच पिट निर्माण कार्य प्रदीप विश्वकर्मा के घर के पास ग्राम मेंडोरी	मेंडोरी	–	–	332 18.09.23	0.175
4	कम्यूनिटी लीच पिट निर्माण कार्य गोविंद कुशवाह के घर के पास ग्राम मेंडोरी	मेंडोरी	–	–	333 18.09.23	0.175
5	कम्यूनिटी लीच पिट निर्माण कार्य राजमल मारण के घर के पास ग्राम मेंडोरी	मेंडोरी	–	–	334 18.09.23	0.175
6	कम्यूनिटी लीच पिट निर्माण कार्य कमर अली के घर के पास ग्राम मेंडोरी	मेंडोरी	–	–	335 18.09.23	0.175
7	कम्यूनिटी लीच पिट निर्माण कार्य मुमतियाजअली के घर के पास ग्राम मेंडोरी	मेंडोरी	–	–	336 18.09.23	0.175
8	कम्यूनिटी लीच पिट निर्माण कार्य नारायण चौकरी के घर के पास ग्राम मेंडोरी	मेंडोरी	–	–	337 18.09.23	0.175
9	कम्यूनिटी लीच पिट निर्माण कार्य अशोक चौकरी के घर के पास ग्राम मेंडोरी	मेंडोरी	–	–	338 18.09.23	0.175
10	कम्यूनिटी लीच पिट निर्माण कार्य कमला बाई के घर के पास ग्राम मेंडोरी	मेंडोरी	–	–	339 18.09.23	0.175
11	कम्यूनिटी लीच पिट निर्माण कार्य इम्तियाज अली, चौकरी के घर के पास ग्राम मेंडोरी	मेंडोरी	–	–	340 18.09.23	0.175

निरंतर.........

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

शर्तें .

1. इस कार्य की उपयोगिता ग्रे–वाटर निष्पादन के लिये है।
2. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित मापदण्डों के अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के किसी प्रकार से परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम तकनीकी अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
3. कार्य का विस्तृत डी.पी.आर तैयार करे तथा अनुमोदन उपरांत ही कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।
4. कार्य की गुणवत्ता हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी उत्तरदायी होगी।
5. कार्य स्थल का पटवारी हल्का न0 एवं खसरा न0, भूमि का स्वामित्व शासकीय होने का प्रमाणीकरण एवं शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मलित होने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ कराया जा सके।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
भोपाल संभाग भोपाल

पृ0 क्र0/2547 /तक./ग्रा.यां.सेवा/2023 — भोपाल, दिनांक 20/9/23

प्रतिलिपि –

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल, की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत फंदा, की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक यंत्री, मनरेगा, जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सलंग्न – प्राक्कलन – 11

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
भोपाल संभाग भोपाल

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

Name of Work : Dewats

2- Name of Village : Mendora

3- Name pf Grampanchayat : Mendora

4- Name of Block : Phanda

5- Cost of work : 5.83 Lakh

6- Name of Scheam : Panchayat Raj

7- Requirement of work : Treatment for gray water

8- Technical Sanction : E.E.RES Bhopal

9- Administrative Sanction : Gram Panchayat

10-Work rates : RES SOR inforc ed from 11-04-2022

A.E.
Janpad Panchayat Phanda

Sub Engineer
Janpad Panchayat Phanda

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

…cription

S.No	Description	No	L	B	D	Quantity	Rate	Amount
	301b-- Earth work in bulk excavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 20m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and neatly dressed.</br>b (i) Dense or hard soil for Road Work							
	DEWATS							
	COLLECTION CHAMBER	1	10.000	7.500	1.500	112.5000		
		1	2.000	2.000	1.500	6.0000		
						118.5000	171.8	20358.3
2	413b -- Providing and laying in foundation, plinth and under floors cement concrete with 40mm nominal size graded stone aggregates (metal) i/c ramming in layers and curing complete excluding cost of form work</br>(b) C.C. 1:3:6 (1cement, 3sand, 6metal)							
	DEWATS	1	10.000	7.500	0.100	7.5000		
	COLLECTION CHAMBER	1	2.000	2.000	0.100	0.4000		
						7.9000	3692	27690.00
3	125 c- Providing and placing in position RCC for roof, beams, columns column footing lintels chhajjas balcony, stairs etc. excluding cost of reinforcement but including centring, shuttering, propping, finishing & curing etc.complete.63.04.25.2 (b) CC 1:1.5:3 (1 cement, 1.5 sand, 3 graded							
	Water collection tank							
	Base	1	2.000	2.000	0.100	0.4000		
	Long Wall	2	2.000	0.200	1.500	1.2000		
	Short Wall	2	2.000	0.200	1.500	1.2000		
	DEWATTS PORTION							
	Base	1	10.000	5.000	0.100	5.0000		
	Long Wall	2	10.000	0.200	1.500	6.0000		
	Short Wall	2	7.500	0.200	1.500	4.5000		
	Partition short Wall	1	7.500	0.200	1.500	2.2500		
	PartitionWall	2	5.000	0.200	1.500	3.0000		
	Baffle Wall	2	5.000	0.100	1.500	1.5000		
	Slab	1	7.500	5.00	0.2	7.5000		
						32.5500	6494	211379.7
4	904a -- Providing and placing in position tested steel for R.C.C. work including cutting, bending, binding etc. as per drawings and placing in position complete up to floor two level including cost of binding wire and all wastage etc. complete.</br>(b) Cold twisted / Hot rolled deformed / Thermo mechanicaly treated steel bars							
	Steel	1.0	76.500	0.5	32.6	1277.59	86.6	110539.08

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

..MR6082 Stone ...r (Metal) 20mm nominal size (BT Metal) (Rate at quarry)							
...20 MM	1.0	7.500	2	1.5	22.50	602	[illegible]
...GATE 40 MM	1.0	7.500	2	1.5	22.50		[illegible]
...a Earth work in bulk excavation (exceeding 30cm ...epth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) ...uding disposal of excavated soil lead upto 20m ...l lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and ...tly dressed.63.27.02.3 a (iii) Loose or soft soil for ...k WorkBLACK COTTON SOIL	1	7.500	2	1.5	22.50	1343	2935.[illegible]
...[illegible] subbase with well graded material (CBR 20 or more) ...[illegible] Construction of granular sub base by providing well graded ...[illegible] having CBR 2[illegible] or more spreading in uniform layers with motor ...on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator ...OMC [illegible] compacting with vibratory rollers of 80 to 100 KN static ...[illegible] to achieve the desire density, complete as per technical ...specification clause 401 for gradings mentioned in table 400.1	2	7.500	5.0	1.3	97.50	~~999~~ 1137	[illegible]
...4 Filling in plinth with sand under floors ...cluding watering, ramming, consolidating and ...ressing complete	1	2	3.75	1.2	9.00		
...MNREGATransportation rates for differentconstruction ...materials.Boulders, Laterite,rubble pitching stonesand ...cavatedhardrock. (XXV) 3.5 Km. Lead	1.000	151.500			151.5000	230.1	3486[illegible].42
...5-106-Providing and laying below ground unplasticised ...PVC pipe to with stand working pressure of 4 kg/cm2 soild ...[illegible] pipes confirming to IS:13592 and IS:4985 including ...[illegible] with seal ring confirming to IS :5282 leaving 10mm ...[illegible] thermal expansion all necessary fittings etc. ...complete. Excavation to be paid seperately					4.0000	576.0	2304.00
5.106 1-(a) 110 mm diameter OD RM 210.60	1						
...ump sum Type : Material Display Board	1				1	3000	3000
							[illegible]
Deduct 10% contractor profit							[illegible]
							[illegible]
Add 18% GST							[illegible]

DEWATS Mendora

Est. No. 330 Date 18/09/2023

Technically Sanctioned Rs. 5.83 lakhs only

In words Five lakh eighty three thousand only

SIE

Executive Engineer
Rural Engineering Services
Bhopal Division Bhopal

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

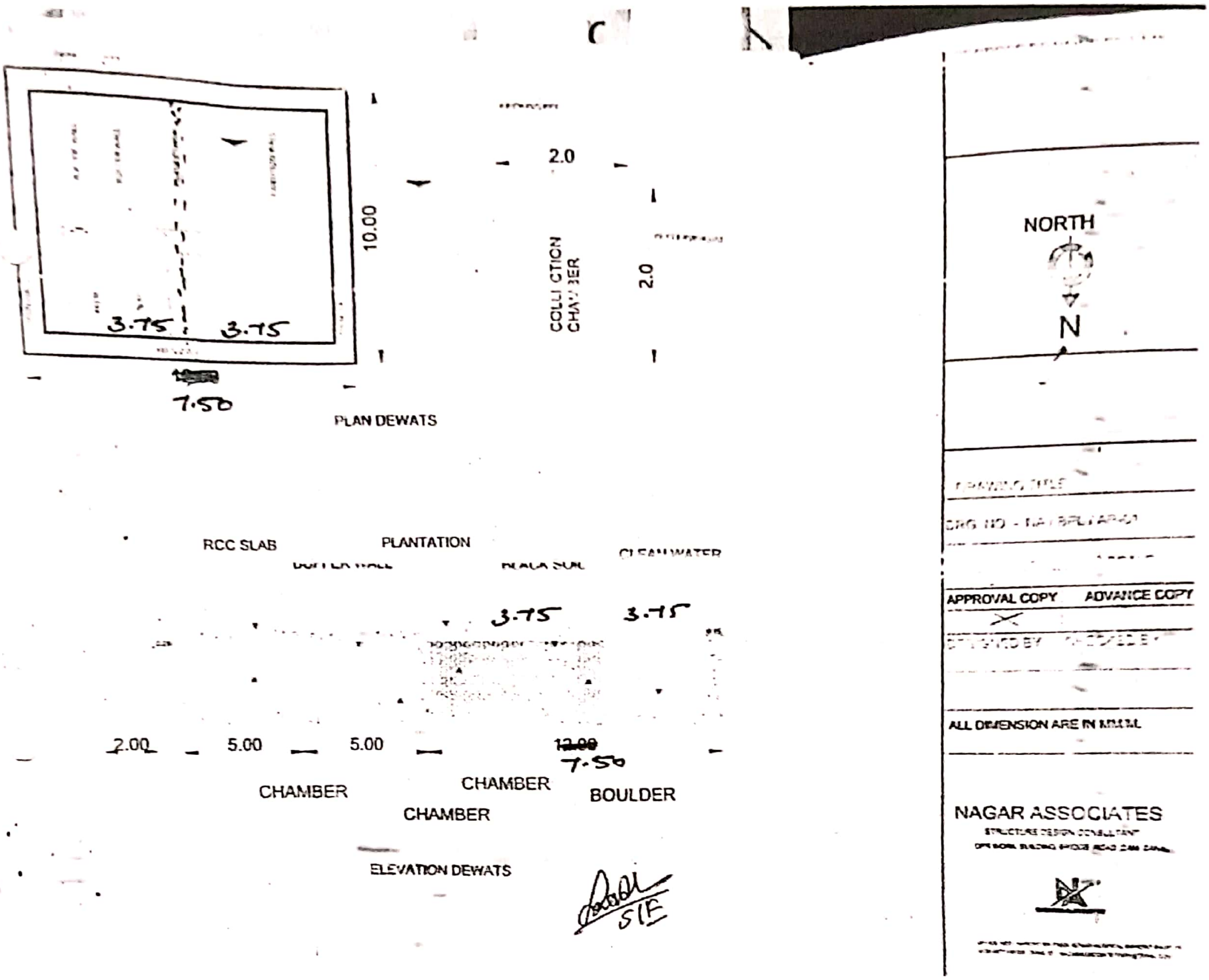

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

Technical Report

1-	Name of Work	: Community Leach Pit, (Near Virendra Maran Dairy)
2-	Name of Village	: Mendori
3-	Name pf Grampanchayat	: Mendori
4-	Name of Block	: Phanda
5-	Cost of work	: 17539
6-	Name of Scheam	: Panchayat Raj
7-	Requirement of work	: Treatment for gray water
8-	Technical Sanction	: E.E.RES Bhopal
9-	Administrative Sanction	: Gram Panchayat
10-	Work rates	: RES SOR inforc ed from 11-04-2022

A.E.
Janpad Panchayat Phanda

Sub Engineer
Janpad Panchayat Phanda

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

Estimate Of Community Leach Pit &gray Water Treatment sor res 11-04-2022

Name Of Village-

Sl No	Description		No	L	B	D	Quantity	Rate	Amount
1	301b-- Earth work in bulk excavation (exceeding 30cm in depth, 1.5m in width as well as 10sqm on plan) including disposal of excavated soil lead upto 20m and lift upto 1.5m, disposed soil to be levelled and neatly dressed.</br>b (i) Dense or hard soil for Road Work								
	Excavation Pit		1	0.785	4.000	1.500	4.7100		
	Drain		1	6.000	0.500	0.400	1.2000		
							5.9100	171.8	1015.3
2	413b -- Providing and laying in foundation, plinth and under floors cement concrete with 40mm nominal size graded stone aggregates (metal) i/c ramming in layers and curing complete excluding cost of form work</br>(b) C.C. 1:3:6 (1cement, 3sand, 6metal)								
	Base		1	3.140	0.200	0.100	0.0628	3692	231.86
3	425c-- Providing and placing in position RCC for roof, beams, columns column footing lintels chhajjas, balcony, stairs etc, excluding cost of reinforcement but including centring, shuttering, proping, finishing & curing etc.complete.</br>(c) CC 1:2:4 (1 cement, 2 sand, 4 graded stone aggregate 20mm nominal size)								
1	Concrete cover		1	0.785	1.440	0.100	0.1130		
	chamber cover		1	0.600	0.600	0.100	0.0360		
							0.1490	5977.4	890.87
4	904 a – Providing and placing in position tested steel for R.C.C. work including cutting, bending, binding etc. as per drawings and placing in position complete up to floor two level including cost of binding wire and all wastage etc. complete. </br>(b) Cold twisted / Hot rolled deformed / Thermo mechanicaly treated steel bars								
1	Steel	1	0.3	0.100	78.5		2.3550	86.6	203.94

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

...ick.</br>(a) In cement mortar 1:3								
Leach Pit	1	2	3.140	0.840	1.500	7.913	389.4	3081.24
1504 -Demolition above G.L upto floor two level including disposal of unserviceable materials within 100 metres lead.								
1504 b-(b) Unreinforced cement concrete upto 15 cm thickness.	0	ı	0	0.3	0.3	5	994.8	0.00
413 a -- Providing and laying in foundation, plinth and under floors cement concrete with 40mm nominal size graded stone aggregates (metal) i/c ramming in layers and curing complete excluding cost of form work</br>(a) C.C. 1:2:4 (1cement, 2sand, 4metal)								
b- of chamber	1	0.500	0.500	0.100	0.025 0.025		4457.6	111.44
63.25.106-Providing and laying below ground unplasticised PVC pipe to with stand working pressure of 4 kg/cm2 soild waste pipes confirming to IS:13592 and IS:4985 including jointing with seal ring confirming to IS :5282 leaving 10mm gap for thermal expansion all necessary fittings etc. complete. Excavation to be paid								
63.25.106.1-(a) 110 mm diameter OD RM 210.60	1					0.0000	576.0	0.00
25-102-cProviding and laying below ground unplasticised PVC pipe to with stand workingpressure of 4 kg/cm2 soild waste pipes confirming to IS:13592 and IS:4985 includingjointing with seal ring confirming to IS :5282 leaving 10mm gap for thermal expansionall necessary fittings etc. complete. Excavation to be paid seperataly.								
200 mm diameter OD (min. wall thickness 4.9mm)	0				0	6.0000	751	4506
25-103 Providing and laying cement concrete 1:3:6 (1 cement: 3 sand: 6 graded stoneaggregate 20 mm nominal size) all-round PVC pipes including bed concrete as perstandard design:								
200 mm diameter OD (min. wall thickness 4.9mm)	0				0	6.0000	821	4926
25-102-cProviding and laying below ground unplasticised PVC pipe to with stand workingpressure of 4 kg/cm2 soild waste pipes confirming to IS:13592 and IS:4985 includingjointing with seal ring confirming to IS :5282 leaving 10mm gap for thermal expansionall necessary fittings etc. complete. Excavation to be paid seperataly.								
e 300 mm diameter OD (min. wall thickness 4.9mm)	1					0.0000	1232	0

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

...ding bed concrete as standard design:								
300 mm diameter OD (min. wall thickness 4.9mm)	1					0.0000	1078	0
Chamber								
63.06.05-Class 25 open bhatta or pajawa burnt brick masonry in plinth and foundation.								
63.06.05.8-(i) Cement mortar 1:4 (1cement, 5sand)	1	2	0.5	0.2	0.6	0.1200		
	1	2	0.6	0.2	0.6	0.1440		
						0.2640	5246.8	1385.16
63.10.05-10mm thick cement plaster on fair side of wall in								
63.10.05.1-(a) Cement mortar 1:3 (1cement, 3sand)								
	1	2	0.5		0.5	0.5000		
	1	2	0.5		0.5	0.5000		
						1.00	157.8	157.8
1015-Extra rate for finishing with a floating cot of neat cement slurry over cement plaster of any thickness.	1	1	0.5	0.5		0.25		
	1		0.5	0.5		1		
						1.25	49.7	62.125
Lump sum Type : Material Display Board		0					1000	0
Total								16571.77
Deduct 10% Contractor profit								1657.18
								14914.60
Add 18% GST								2684.63
								17599.22

Community leach pit (Virendra Maran Dairy)

DE

SIE

Est. No. 331 Date 18/09/23

Technically Sanctioned Rs. 0.175 lakhs only

In words Seventeen thousand five hundred ninety nine only

Executive Engineer
Rural Engineering Services
Bhopal Division Bhopal

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

	Leach pit No.	Consntruction of Leach pit area	S.No.	Connected House
Sewage No.-1	1	Near Virendra Maran Dairy	1	Virendra
			2	Govind singh
			3	Sunil
			4	Tikaram
			5	Golu
			6	Vikas
			7	Shri Ram
			8	Karan
			9	sonu
	2	Near Pradip Vishwakarma House	1	Pradip Vishwakarma
			2	Bhagwan Singh
			3	Prem Narayan
			4	Tilakbari bai
			5	Raina Bai
			6	Man Mohan
			7	Lalaram
			8	Rahul
			9	Manish
	3	Near Govind Kushwaha House	1	Govind Kushwaha
			2	Kripal singh
			3	Raghuvir Kushwaha
			4	Ravi Maran
			5	Lakhan Maran
			6	Mukesh
			7	Gaya Prasad
			8	Anandi Lal
	4	Near Rajmal Maran House	1	Rajmal Maran
			2	Bandlal
			3	Suraj singh
			4	Vishwajit
			5	Vishnu Vishwakarma
			6	Laxmi Narayan
			7	Anup singh
			8	Narayan
	5	Near Kamar Ali House	1	Kamar ali
			2	Jafar Ali
			3	Ashu
			4	Khemchand
			5	Jamna Prasad
			6	Dinesh
			7	Sanjay
			8	Shanu Ali

Scanned with OKEN Scanner

Location of Leach pit in Gram Panchayat Manuori

	Leach pit No.	Consntruction of Leach pit area	S.No.	Connected House
Sewage No.-2	1	Near Mumtiyaj Ali House	1	Mumtiyaj Ali
			2	Kishan Lal
			3	Bagmal
			4	Arun Khare
			5	Beni Prasad
			6	Santosh
			7	Sachin
			8	Rajkumar
	2	Near Narayan Chouksey House	1	Narayan Chouksey
			2	Radheshyam
			3	Gopilal
			4	Vinod
			5	Rajkumar
			6	Kishanlal
			7	Jitendra
			8	Phul Singh
			9	Pravin
			10	Mukesh
	3	Near Kamlabai House	1	Kamlabai
			2	Anokhi Lal
			3	Kailash
			4	Bholaram
			5	Narendra
			6	Monu
			7	Mohan
			8	Krishnkant
			9	Babulal
	4	Near Ashok Chouksey House	1	Ashok Chouksey
			2	Kamlesh
			3	Rahul
			4	Sunil
			5	Rakesh
			6	Anmol
			7	Anokhi Lal
			8	Deviram
			9	Shanu
	5	Near Imtiyaz Ali House	1	Imtiyaz Ali
			2	Alahin
			3	Deepak
			4	Maniram
			5	Deviram

Scanned with OKEN Scanner

कुशलपुरा

Location of Leach pit in Gram Panchayat BERKHEDI BAZYAFT – KOSHALPURA

	Leach pit No.	Consntruction of Leach pit area	S.No.	Connected House	कार्य की स्थिति पूर्ण	प्रगतिरत	अपूर्ण	रिमार्क
Sewage No.-2	1	NALI SAHID RAJU KI DUKAN SE SADI HAAL TAK OR LEACH PIT RS =2.21 LAKH TS.153/F/23/17/05/23 AS-04/पं/24/5/23	1	RAJU SILAVAT				
			2	SANTOSH YADAV				
			3	SONU YADAV				
			4	TULSHIRAM YADAV				
			5	GANPATLAL				
			6	PHOOLSINGH				
			7	PRAKASH				
			8	JAMNAPRASAD				
			9	RAHUL PETHARI				
			10	RAMESH PETHARI				
			11	MISHRILAL				
			12	SANJAY				
			13	JEETMAL				
			14	SHANKARLAL				
			15	BANSHILAL				
			16	HARISHINGH				
			17	LAXMAN SINGH				
			18	RAMKRSHN	पूर्ण	NO		DON
	2	NALI SAHID KUNJILAL KE GHAR SE SURESH PRAJAPATI KE GHAR TAK RS =1.9 LAKH TS829/F/18/01/2024 AS 08/पं/2024 DATE 28/01/24	1	SELENDR PETHARI				
			2	KUNJILAL KUSHWAH				
			3	MOHAN LAL				
			4	DEVENDRA YADAV				
			5	SATYNARAYAN				
			6	MUKESH KUSHWAHA				
			7	JAGDISH KUSHWAH				
			8	PARAMSINGH				
			9	DALCHAND				
			10	THANSING				
			11	SURESH PRAJAPATI				
			12	RAMKISHAN				
			13	SHEELABAI				
			14	KALABAI	पूर्ण	NO		DON
			15	MANSHINGH				
			16	HEMRAJ YADAV				
			17	KAMLESH				
			18	DHANRAJ				

सचिव
ग्राम पंचायत बेरखेड़ी बाज्याफ
जनपद फन्दा,भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

योजना का नाम- SWLM
स्वीकृत वर्ष- 2023-24
पूर्ण वर्ष- 2023-24
स्वीकृत राशि- 29000/-
स्वच्छ भारत
2023

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
(सीवेज प्रकोष्ठ)

क्र. 59 / अ.यं. / न.नि.भो. / 2024 भोपाल दिनांक 15/3/24

ANNEXURE R-10 (colly)

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी
भोपाल

विषय :– माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल में प्रचलित प्रकरण कमांक 07 / 2022 के संबंध में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र कमांक 384 भोपाल दिनांक 31 / 10 / 2023।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल में प्रचलित प्रकरण कमांक 07 / 2022 सुभाष सी. पाण्डेय विरूद्व नगर निगम भोपाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24 / 07 / 2023 के अनुपालन में कलियासोत रिजरवायर में मिलने वाले कुल 1.25 एम. एल.डी. सीवेज में से 0.60 एम.एल.डी. सीवेज की रोकथाम हेतु दो स्थलों को Existing Sewage Network से जोड़ने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

कलियासोत रिजरवायर में मिलने वाले शेष दो स्थलों (नालो) कमशः सूरज नगर 0.20 एम. एल.डी. एवं बरखेड़ी कलां 0.45 एम.एल.डी. पर पैकेज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) कुल क्षमता 0.65 एम.एल.डी. सीवेज की रोकथाम हेतु निविदा आमंत्रित कर मेसर्स सावेन कंस्लटेंसी सर्विसेस फैजाबाद रोड लखनउ को कार्यादेश कमांक 10 दिनांक 22 / 01 / 2024 अनुसार कार्य हेतु राशि रूपये 2,21,50,000 / – का कार्यादेश जारी किया गया है। जारी किये गये कार्यादेश अनुसार निर्माण कार्य की समयावधि 03 माह है। उक्त दोनों स्थलों पर एस.टी.पी. निर्माण कार्य हेतु भूमि का आधिपत्य प्राप्त किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त भोपाल एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग को पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया है परंतु आज दिनांक तक भूमि का आधिपत्य प्राप्त न होने से निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। भूमि का आधिपत्य प्राप्त होते ही समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

तदानुसार प्रतिवेदन आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

15/3/24

अधीक्षण यंत्री
सीवेज प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

भोपाल दिनांक................

पृ.क्र...................... / अधी.यं. / न.नि.भो. / 2023

प्रतिलिपि :–

1. मान् आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त सीवेज / विधि विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त स्थलों पर भूमि का अग्रिम आधिपत्य शीघ्र दिलाये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें ताकि समय सीमा में कार्य कराया जा सके।
4. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि बरखेड़ी कलां स्थित भूमि का अग्रिम आधिपत्य शीघ्र दिलाये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

अधीक्षण यंत्री
सीवेज प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
(सीवेज प्रकोष्ठ)

क्र. 506 / अ.यं. / न.नि.भो. / 2024 भोपाल दिनांक 14/02/24

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
टी.टी. नगर वृत्त
भोपाल

विषय :– मान् एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण कमांक 07 / 2022 (सी.जेड) सुभाष सी पाण्डेय विरूद्व नगर निगम भोपाल व अन्य में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने बावत्।

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोन भोपाल में प्रचलित प्रकरण कमांक 07 / 2022 (सी.जेड) सुभाष सी पाण्डेय विरूद्व नगर निगम भोपाल व अन्य प्रचलन में है। मान् एन.जी.टी सेंट्रल जोन भोपाल द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कलियासोत डेम में मिलने वाले सीवेज की रोकथाम हेतु सूरज नगर एवं बरखेड़ी कलां में पैकेज्ड एस.टी.पी. जिनकी क्षमता कमशः 0.20 एम.एल.डी. एवं 0.45 एम.एल.डी. के निर्मित किये जाने है। नगर निगम भोपाल द्वारा इस हेतु निविदा आमंत्रित कर निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर आधार पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त उपरांत संबंधित एजेंसी मेसर्स सावेन कंसलटेंसी, लखनउ उ.प्र. को कार्यादेश कमांक 10 / अ.यं / न.नि.भो / 2024 दिनांक 22.01.2024 जारी किया गया है। कार्य पूर्ण करने की समयावधि 3 माह निर्धारित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों नालों के समीप 0.20 एम.एल.डी. एस.टी.पी निर्माण हेतु 5000 वर्ग फीट एवं 0.45 एम.एल.डी. एस.टी.पी. हेतु 6000 वर्ग फीट शासकीय रिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराया जा सके।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण की समीक्षा मान्. मुख्य सचिव महोदय म.प्र. शासन एवं प्रमुख सचिव महोदय नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। मान् एन.जी.टी. में प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 15.02.2024 को नियत है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार।**

14/2/24

अधीक्षण यंत्री
सीवेज प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

पृ.क्र. 507 / अ.यं / न.नि.भो / 2024 भोपाल दिनांक 14/02/24

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय जिला भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय नगर निगम भोपाल की और निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त सीवेज प्रकोष्ठ विभाग नगर निगम भोपाल की और सूचनार्थ।
4. तहसीलदार टी.टी. नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित ग्राम पटवारी टी.टी. नगर वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधीक्षण यंत्री
सीवेज प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

आयुक्त
16/2/24

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL
(SEWAGE DEPARTMENT)

No. ...10..../S.E./BMC/2024 Bhopal, Date 22.1.24

//Work Order//

To,

Sawen Consultancy Services
Pvt. Ltd. 417, A&B Sahara Shopping Centre
Faizabaad Road Lucknow (U.P)

Sub :- Survey Investigation, Design, Construction, Testing and commissioning of package sewage treatment plant and gated diversion structure at Suraj nagar and barkhedi nallah of Bhopal Municipal Corporation Bhopal and Providing and laying of HT LT Feeder Connection up to Sewerage Plant

Ref. :- 1 Online Tender No. 2023_UAD_308990_2 date 29.11.2023.
2 Letter of Acceptance (LOA) No. 402 dated 02.01.2024
3 Agreement Signed by bidder dated 18.01.2024.

---0---

In Pursuant to the agreement dated 18.01.2024 signed by you with the undersigned, you are hereby instructed to start the work of Survey Investigation, Design, Construction, Testing and Commissioning of package sewage treatment plant and gated diversion structure at Suraj nagar and Barkhedi Nallah of Bhopal Municipal Corporation Bhopal and Providing and laying of HT, LT Feeder Connection up to Sewerage Plant having scope of work & cost of work as below :-

Scope of Works : Survey Investigation, Design, Construction, Testing and commissioning of package sewage treatment plant and gated diversion structure at Suraj nagar and barkhedi nallah of Bhopal Municipal Corporation Bhopal and Providing and laying of HT, LT Feeder Connection up to Sewerage Plant

Cost of Works:- Cost of work Rs. 2,21,50,000/- (Without GST) (Rupees Two Crore Twenty one lakh fifteen thousand only) as quoted by You.
Date of Completion:- 03 Months after date of work order.

Superintending Engineer
(Sewage Department)
Bhopal Municipal Corporation
Bhopal, Date 22.1.24

No. ...11...../S.E./BMC/2024

Copy to:

1. Commissioner, Municipal Corporation Bhopal through P.A. for kind information Please.
2. Additional Commissioner Municipal Corporation Bhopal for kind information Please.
3. Executive Engineer/ Assistant Engineer sewage section for necessary action.

Superintending Engineer
(Sewage Department)
Bhopal Municipal Corporation

o/c

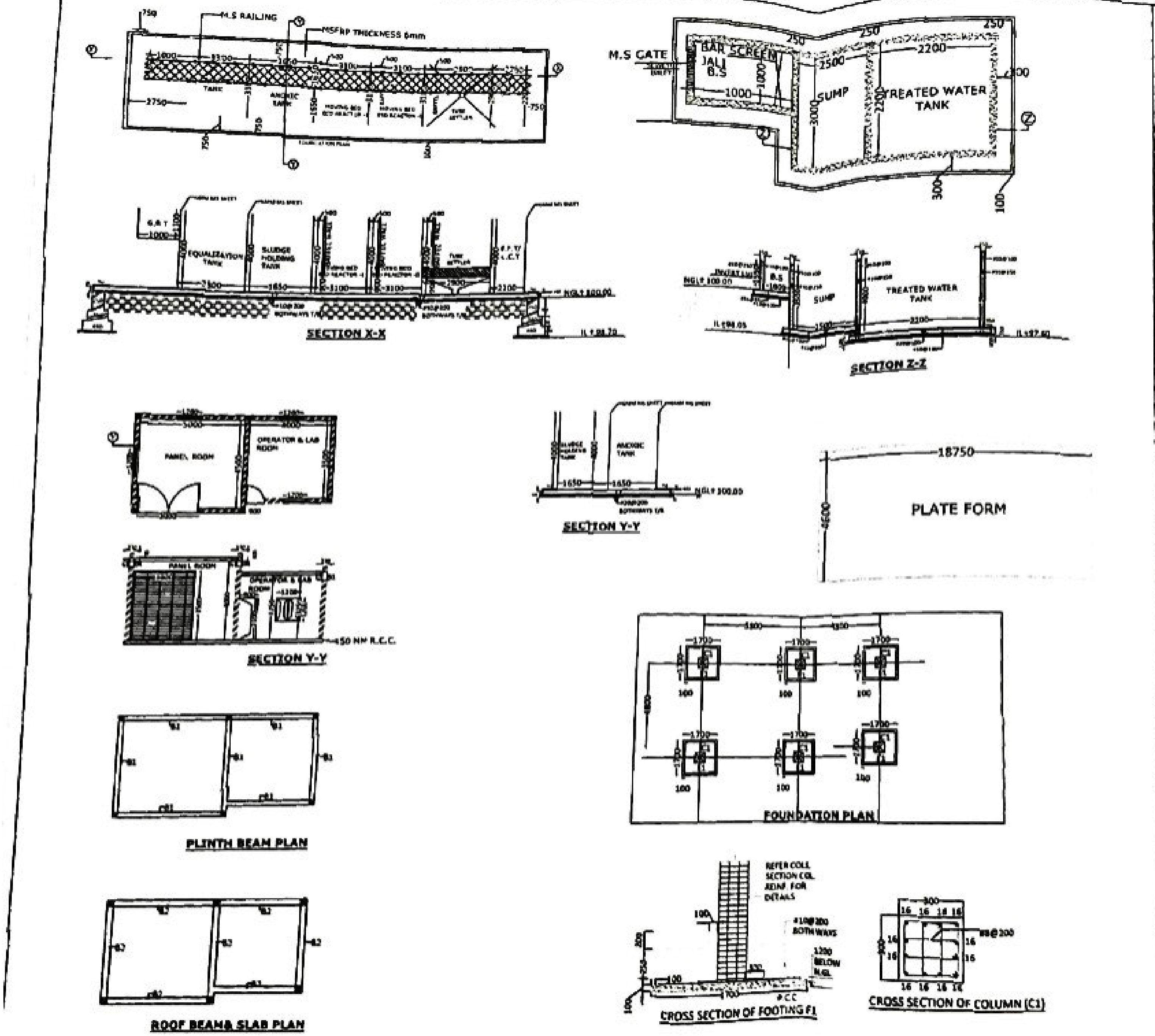

Sl.no	NAME OF TANK	SIZES IN MTR			
		LENGHT	WIDTH	HEIGHT	VOLUME
1	BS	1.0	1.0	1.55	1.55
2	SUMP	3.0	2.5	3.5	26.25
3	G.R.T	1.0	1.0	1.3	1.3
4	EQT	3.3	3.3	4.0	43.56
5	SHT	1.65	1.65	4	10.89
6	AT	1.65	1.65	4	10.89
7	MBBR-1	3.1	3.1	4	38.44
8	MBBR-2	3.1	3.1	4	38.44
9	TS	2.9	2.9	4	33.64
10	CCT/FFT	2.2	2.2	4	19.36
11	TWT	2.2	2.2	4	19.36

SR.No.	REVISION No.	DATE	REMARK

PROJECT:

200 KLD S.T.P BASED ON MBBR TECHNOLOGY AT SURAJ NAGAR ,NAGER NIGAM BHOPAL

DRG TITLE :

DRAWING NO. - 01	DATE.- 30-01-24	SCALE:- N.T.S
DRAWN BY	DESIGN BY	CHKD. BY
ER.SHUBHAM YADAV	ER. RAJAN SINGH KALHANS	ARCH. MINAKSHI TIWARI

SAWEN

SAWEN CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED

417 A and B 4TH FLOOR
SAHARA SHOPPING CENTER LUCKNOW

Sawen Consultancy Services Pvt. Ltd. Lucknow

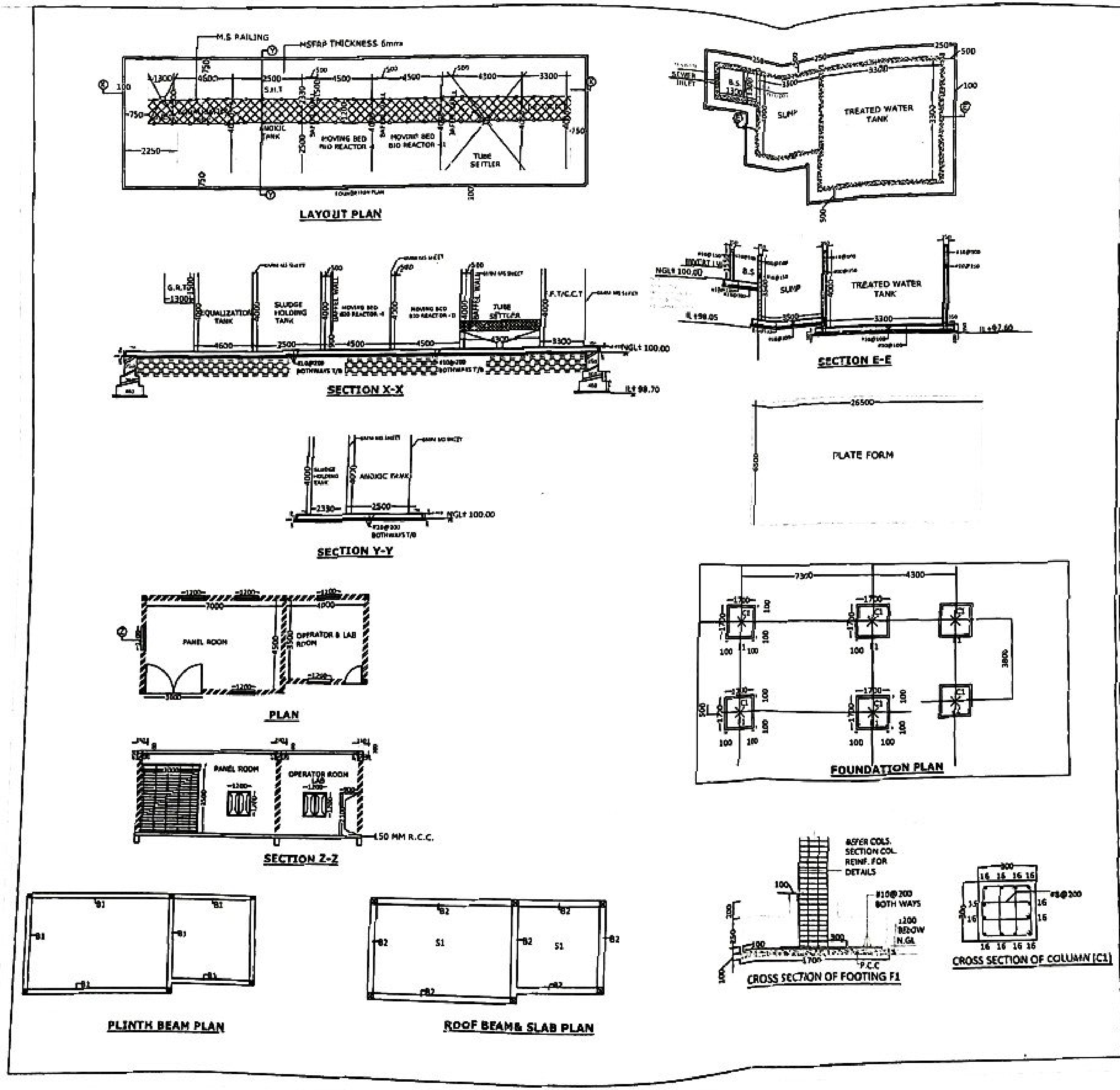

Sl.no	NAME OF TANK	SIZES IN MTR			
		LENGHT	WIDTH	HEIGHT	VOLUME
1	SUMP	4	3.5	3.5	49
2	B.S	1.3	1.3	1.55	2.62
3	G.R.T	1.3	1.3	1.5	2.53
4	EQT	4.6	4.6	4	84.64
5	SHT	2.5	2.33	4	23.3
6	AT	2.5	2.5	4	25
7	MBBR-1	4.5	4.5	4	81
8	MBBR-2	4.5	4.5	4	81
9	TS	4.3	4.3	4	73.96
10	CCT/FFT	3.3	3.3	4	43.56
11	TWT	3.3	3.3	4	43.56

SR.No.	REVISION No.	DATE	REMARK

PROJECT:
450 KLD S.T.P BASED ON MBBR TECHNOLOGY AT BARKHEDI NALLAH , NAGER NIGAM BHOPAL

DRG TITLE : 450 KLD

DRAWING NO. - 01	DATE:- 30-01-24	SCALE:- N.T.S
DRAWN BY	DESIGN BY	CHKD. BY
ER.SHUBHAM YADAV	ER. RAJAN SINGH KALHANS	ARCH. MINAKSHI TIWARI

SAWEN CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
417 A and B 4TH FLOOR
SAHARA SHOPPING CENTER LUCKNOW

Sawen Consultancy Services Pvt. Ltd. Lucknow

//प्रतिवेदन//

प्रति,

तहसीलदार महोदय,
राजधानी परियोजना
टी.टी. नगर वृत्त भोपाल

विषय: भूमि उपलब्ध कराये जाने बावत्।

—000—

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे प्रभार क्षेत्र ग्राम बरखेड़ीकलां के वर्तमान राजस्व अभिलेख कम्प्यूटर खसरा वर्ष 2023–24 में ग्राम बरखेड़ीकलां पहनं. 34/40, तहसील हुजूर, स्थित भूमि खसरा नं. 45/1/23 रकबा 0.8170 हेक्टेयर भूमि कार्यपालन यंत्री कलियासोत शीर्ष संभाग 70 एमपी नगर भोपाल म.प्र. शासन के नाम खसरा कॉलम नंबर 12 में दर्ज है एवं खसरा नं. 45/2 रकबा 1.3150 हेक्टेयर भूमि कलियासोत बांध सिंचाई भिाग भोपाल शासकीय भूमि म.प्र. शासन के नाम खसरा कॉलम नंबर 12 में दर्ज है।

प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत।

मूल्यांकित
5/8/24

राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी
टी.टी. नगर भोपाल

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2023-24 | दिनांक : 14-03-2024 19:05:15

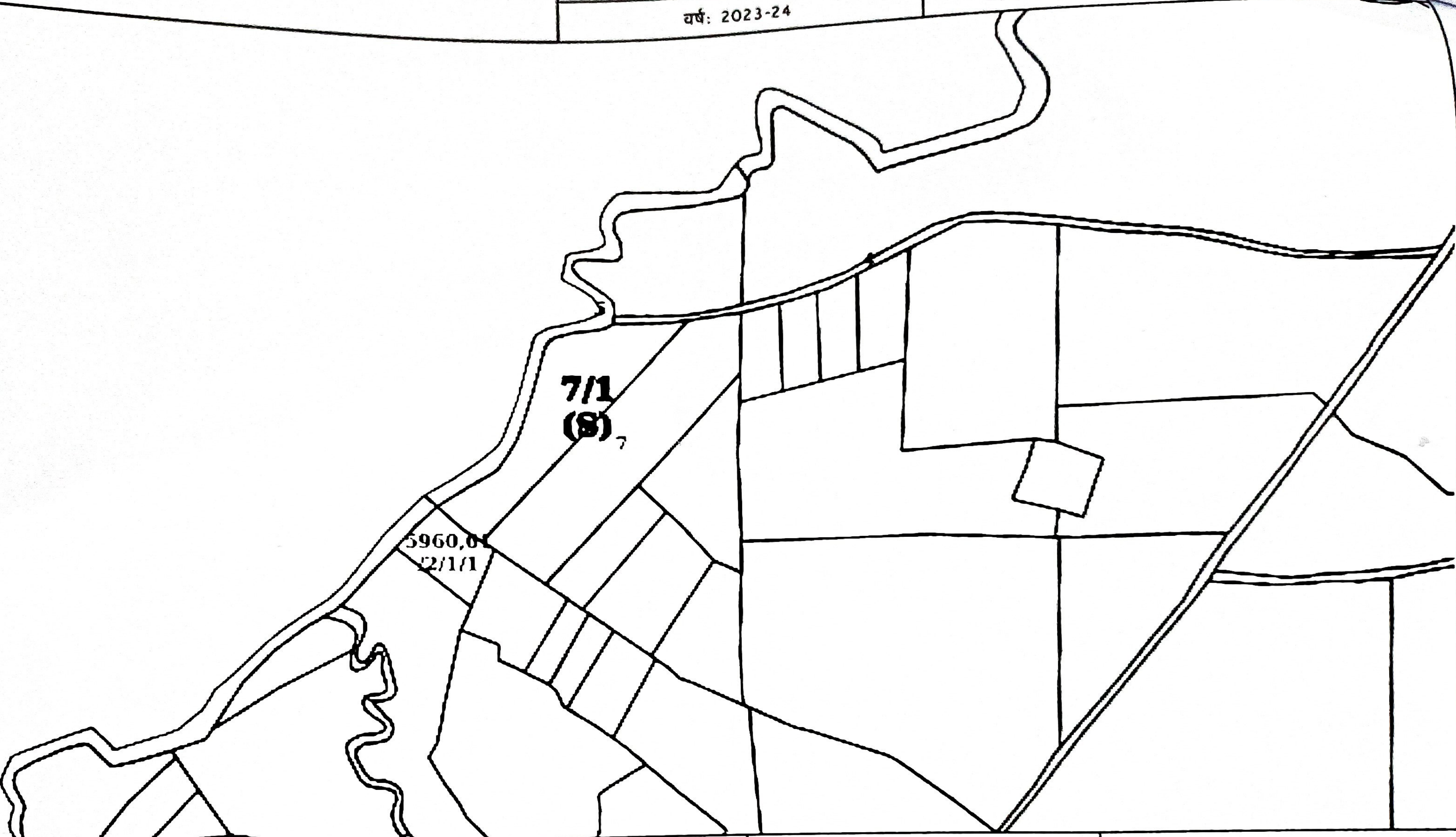

ब्लॉक सं.:	ग्राम:खुदागंज	हल्का:चंदनपुरा	तहसील:हुजूर	जिला:भोपाल
सर्वेक्षण सं.: 7/1(S)	क्षेत्रफल:0.8290(हेक्ट.)	भू-राजस्व:0.00	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

स्वामी : (शासकीय)

(हस्ताक्षर)

...केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
...किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।